




आर्थिक ऐन, २०७७



कर्जन्हा नगरपालिका

कर्जन्हा, सिरहा

कर्जन्हा नगरपालिका अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७

प्रस्तावना : कर्जन्हा नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाच्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम कर्जन्हा नगरपालिकानगरसभाले यो विधेयक बनाई लागु गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस विधेयकको नाम “आर्थिक विधेयक, २०७७” रहेको छ ।

(२) यो विधेयक २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखि कर्जन्हा नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधेयकमा,—

(क) “प्रमुख” भन्नाले कर्जन्हा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।

(ख) “कार्यपालिका” भन्नाले संविधानको धारा २१६ बमोजिम गठित कर्जन्हा नगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) “नगरपालिका” भन्नाले कर्जन्हा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ ।

(घ) “सभा” भन्नाले कर्जन्हा नगरपालिका नगरसभा सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झनु पर्छ ।

३. सम्पति कर: (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरिया) जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिने छ । यस दफाको प्रयोजनको लागि चर्चेको जग्गा भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा पाँच हजार चार सय छहतर वर्गफिट जग्गामध्ये जुन घटि हुन्छ त्यसलाई सम्झनुपर्दछ । तर सार्वजनिक गुठीको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर अनुसूची १ (क)मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम घर तथा संरचनाको मुल्यांकनको दर अनुसूची १(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करमा त्रसकट्टीको दर अनुसूची १ (ग) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

४. भूमिकर : नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची २ बमोजिम भूमिकर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर दफा ३ बमोजिम सम्पति कर लगाएको जग्गामा भूमीकर लाग्ने छैन ।

५. घर जग्गा बहाल करः (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा वार्षिक बहाल रकममा बहाल कर लगाईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने घरजग्गा बहाल करको दर अनुसूची ३मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि नगरपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ ।

६. व्यवसाय करः (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा व्यवसाय कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय संचालन इजाजत प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुले वार्षिक रूपमा व्यवसाय कर चुक्ता गरी व्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय इजाजत दस्तुर तथा व्यवसाय करको दर अनुसूची ४मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत विना कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाईने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिमको कर उठाउनका लागिआवश्यक पर्ने नियम तथा कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।

७. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृतवा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेवापतअनसूची ५ बमोजिमजडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तुकर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि कारोबार भन्नाले विक्रेताले जारी गरेको विल वा वीजक वा लेनदेन भएको जनिने प्रमाणलाई सम्झनु पर्दछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिंदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकी इजाजत दिनेछ ।

d. सवारी साधन करः (१) नगरपालिकामा दर्ता भई संचालनमा रहेका टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा जस्ता सवारी साधनमा सवारी साधन करलगाईने र उठाईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरुको दर्ता, नवीकरण, रुटपर्मिट, जाँचपास र सवारी साधन करको दर अनुसूची६ बमोजिम हुनेछ ।

(३) प्रदेशले लगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. विज्ञापन करः नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, लिडिस्प्ले, स्टल आदिमा अनुसूची७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. मनोरञ्जन करः (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमाहल, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर, सङ्गीत गृह, प्रदर्शनस्थल, जादू, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असलु उपर गरिनेछ ।

तर प्रदेश कानून बनिनसकेको अवस्थामा यस दफा बमोजिम नगरपालिकाले अनुसूची ८ बमोजिमको दरमा मनोरञ्जन कर लगाइने र उठाइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसंग बाँडफाँड गरिनेछ ।

११. बहाल बिटौरी शुल्कः (१) नगरपालिकाले आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरुमा अनुसूची ९(क) बमोजिमको दरमा बहाल बिटौरी शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

(क) आफुले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,

(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,

(ग) नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल बिटौरी शुल्क उठाउनका लागि कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी बोलपत्र वा दरभाउपत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट बहालमा दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल बिटौरी शुल्क उठाउनकालागि कार्यपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारको आधारमातोकेको न्यूनतम बहाल बिटौरी शुल्कको दरमा बोलपत्र वा दरभाउपत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट बहाल बिटौरीमा दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम बहाल विटौरीमा दिंदा शर्त सहित सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ ।

(५) नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेकारोलर, पानीटेंकी, जेसिवि, ट्रिपर र ट्याक्टर भाडामा दिंदा सबै साधनको लाने ल्याउने खर्च, इन्व्हन खर्च, चालकलाई दिइने दैनिक भ्रमण खर्च, माग गर्ने व्यक्ति वा संघसंस्था स्वयम्भूत अग्रिम रूपमा रकम जम्मा गरी अनुसूची ९ (ख) बमोजिम दस्तुर असुल उपर गरिने छ ।

१२. पार्किङ शुल्कः (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकेको पार्किङस्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएवापत पार्किङ गर्ने दैनिक वा बार्षिक समयको आधारमानुसूची १० मा उल्लेख भएबमोजिमको दरमा पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थान वाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । तर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र यस दफा बमोजिम सवारी पार्किङ गरिने र शुल्क लगाइने छैन ।

(३) नगरपालिकाले सवारी पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्दा सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा गर्नेछ ।

(४) कुट्नैतिक नियोगका गाडी, सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स, विद्यालयको नाममा रहेका स्कुलबस तथा सब बहानमा पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन ।

१३. ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ शुल्क : नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केवलकार, बज्जी जम्प, जिपप्लायर, चाफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ लगायतका स्थानीय पर्यटन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवामा सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गर्न सकिनेछ ।

तर सीमा नदी वा अर्को स्थानीय तहको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवामा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगाइनेछ ।

१४. सेवा शुल्क, दस्तुरः (१) नगरपालिकाले निर्माण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची ११ बमोजिम सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ :

- (क) खानेपानी, विजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,
- (ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,
- (ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शबदाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,
- (घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,
- (ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,
- (च) नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सिफारिश सम्बन्धी कुनै सेवा,

(छ) ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्त्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क ।

तर ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्त्विक स्थल र धार्मिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गर्दा नेपाली नागरिकलाई खण्ड (छ) बमोजिमको शुल्क लिइने छैन ।

(२) नगरपालिकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, “घ” बर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्रयुसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा नियमन आदिमा सेवा शुल्क दस्तुर लगाउने र उठाउनेछ ।

१५. विक्री तथा निकासी शुल्क : (१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलवाट उत्पादन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरुको विक्री गर्न सक्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रउत्पादन भै आफ्नो सिमाक्षेत्रभन्दा बाहिर निकासी हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाट्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नगरपालिकाले गर्ने विक्री तथा निकासी शुल्कको दर क्रमशः अनुसूची १२(क) र अनुसूची १२ (ख) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) कार्यपालिकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र कामनलाग्ने वस्तु, उपकरण तथा सामानहरु लिलामविक्री गर्न सक्नेछ ।

(५) कार्यपालिकाले नागरिकको सुविधाकोलागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरु वा अन्य सेवा विक्री गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुहरु विक्री तथा उपदफा (२) बमोजिमको निकासी शुल्क असूलीका लागि विक्री तथा निकासीको परिमाण तथा दर निर्धारण गरी वोलपत्र, दरभाउपत्र, डाँक बढावढ वा अन्य कुनै उपयुक्त माध्यमवाट गरिने छ ।

१६. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क : (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइने र उठाईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमउठेको रकम संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ ।

(३) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय मार्फत उठाईनेछ ।

१७. दण्ड जरिवाना : (१) नगरपालिकाभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारीसाधन पार्किङ वा व्यवसाय गरेमा, फोहोरमैला गरेमा वा नगरपालिकालेनिर्धारण गरेको कर,

शुल्क तथा महसुल तोकिए अनुसार भुक्तानी नगरेमा अनुसूची १३ बमोजिम दण्डजरिवाना असुल गरिनेछ । तर सम्बन्धित कानूनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) नगरपालिकालेउपदफा (१) वाहेक प्रचलित कानून पालना नगरेको कसूरमा लगाउने अन्य दण्ड जरिवाना रकम सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. आन्तरिक आयको प्रक्षेपण : आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आय अनुसूची-१४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१९. कर छुट :(१) आर्थिक रूपमा तिर्नुपर्ने राजश्व सोही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र र मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने राजश्वको हकमा महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र बुझाउने करदातालाई नियमानुसार लाग्ने राजश्वको क्रमशः दश र पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

(२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुट्टीतिक नियोग, सार्वजनिक गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्ति, वस्तु तथा कारोबारमा यस विधेयक बमोजिमको कर लिईने छैन ।

स्पष्टिकरण: लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोका आंगिक कलेजहरु, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरु, सार्वजनिक पुस्तकालय, बाचनालाय, वालगृह, अनाथाश्रम, बृद्धाश्रम जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्झनु पर्दछ ।

(३) विपद् वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताहरुले कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई नगर सभाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिवाना छुट दिन सकिनेछ ।

(४) कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा वाहेक नगरपालिकाको कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना छुट दिन पाउने छैन ।

तर आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने किसिमका उद्योग व्यवसायमा निश्चित अवधिसम्म सभाले बनाएको कानून बमोजिम कर, दस्तुर, शुल्क छुट दिन बाधा पर्ने छैन ।

२०. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन :(१) नगरपालिकाले गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले नगरपालिकामा प्रशासकीय पुनरावलोकनकोलागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजश्व प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा सम्लग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता रहनेछैन ।

(३)उपदफा (१) बमोजिम पुनरालोकनकोलागि प्राप्त भएको निवेदन उपर पैतिस दिनभित्र छानविन तथा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

२१.ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने :(१) यस विधेयक बमोजिम संकलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोबस्त गरी संकलन गर्नसक्नेछ ।

तर, आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्था भएमा बढीमा तिन वर्षको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।

(२) यस दफा बमोजिमको ठेक्का लगाउँदा स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यबस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) नगरपालिकालेसम्भव भएसम्म आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले कर संकलन गर्न सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गरिने छैन । तर जडिबुटी, कवाडी र जीबजन्तुकर तथा विज्ञापन कर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त नै गर्नु पर्ने अवस्थामा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी ठेक्कामा संकलन गर्न सकिनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिने आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ सम्बन्धी कार्यविधि र पट्टा कबुलियत, धरौटी, किस्ता र ठेक्का तोड्ने जस्ता कार्यविधिहरु अर्को व्यबस्था नभएसम्म स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) लाई आधार मानी गरिनेछ ।

२२. कर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना छुट तथा मिन्हा हुने(१) नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता भएका कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले आर्थिक बर्ष २०७५।०७६।०७७ सम्म लागेको व्यवसाय कर विभिन्न कारणले बुझाउन बाँकी रहेको भएमा त्यस्ता करदाताले आर्थिक बर्ष २०७४।७५ र २०७५।०७६।०७७ मा लाग्ने कर २०७७ साल असौज मसान्त भित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने थप शुल्क तथा जरीवाना साथै सो भन्दा अधिका बर्षहरुको सम्पूर्ण व्यवसाय कर रसो बापत लाग्ने शुल्क, दस्तुर, ब्याज, जरिवाना मिन्हा हुनेछ ।

(२) नगरपालिकामा व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले व्यवसाय दर्ता नगरी कारोबार सञ्चालन गरिरहेको भएमा त्यस्ता करदाताले व्यवसाय दर्ता गरी आर्थिक बर्ष २०७४।७५ र २०७५।०७६।०७७ मा लाग्ने कर २०७७ असौज मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने थप शुल्क तथा जरीवाना साथै सोभन्दा अधिका बर्षहरुको सम्पूर्ण व्यवसाय कर रसो बापत लाग्ने शुल्क,

दस्तुर, व्याज, जरिवाना मिन्हा हुनेछ।

(३) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वा सो भन्दा अधिसम्मको सवारी साधन कर नतिरेका करदाताले तिर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५/०७६ को लाग्ने कर २०७७ असोज मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने थप शुल्क, जरिवाना मिन्हा हुनेछ साथै सो भन्दा अधिका वर्षहरूको सवारी साधन करसो बापत लाग्ने शुल्क, दस्तुर, व्याज, जरिवाना मिन्हा हुनेछ।

(४) उपदफा (१),(२),(३) र अनुसारको छुट तथा मिन्हा सुविधा प्राप्त गर्न करदाता अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्ने छ।

(५)उपदफा (१),(२),(३) र अनुसार तोकिएको अवधि भित्र छुट सुविधा लिई कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर,शुल्क, जरिवाना तथा व्याज असुल उपर गरिनेछ।

२३. सहयोग लिन सकिने :नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुसंग नगरपालिकाको राजस्व असुली सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग लिन सकिनेछ।

२४. नियम तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने :(१) यस विधेयकको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यपालिकाले आवश्यक नियम तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियम तथा कार्यविधिकार्यपालिकावाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।

२५. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने : यस विधेयक बमोजिमको कर संकलन तथा असुलउपर गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा कार्यपालिकाले यस विधेयक वा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाई यो विधेयकको कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ।

२६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस विधेयक बमोजिमका करका दरहरु यसै बमोजिम हुनेछन् तर नगरपालिकाले लिन पाउने अन्य कर र करका दर यस विधेयकमा उल्लेख नभएको हकमा नगर सभाबाट पारित अन्य विधेयक तथा कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेका नियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

अनुसूची १(क)
(विधेयकको दफा ३ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)
सम्पत्ति करको दर

- सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालय सिरहाले आ.ब. २०७५।०७।०७७ का लागि गरेको देहाय बमोजिमको जग्गाको मुल्यांकनलाई नै आधार लिइएकोछ ।
- करदाताले तिर्नुपर्ने करमा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत सेवाशुल्क कायम गरिएको छ ।

| क्र.स. | करयोग्यसम्पत्तिको मूल्य | बार्षिक दर |
|--------|-------------------------------------|--|
| १ | पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा | एक मुण्ठ रु एक सय मात्र |
| २ | त्यस पछिको दश लाख रुपैयाँसम्म | एक मुण्ठ रु दुइ सय मात्र |
| ३ | त्यस पछिको तिस लाख रुपैयाँसम्म | ०.०३ %प्रतिशत (शुन्य द. शुन्य तीन प्रतिशत) |
| ४ | त्यस पछिको पचास लाख रुपैयाँसम्म | ०.१२ %प्रतिशत (शुन्य द. एक दुइ प्रतिशत) |
| ५ | त्यस पछिको पचहत्तर लाख रुपैयाँसम्म | ०.१३% प्रतिशत (शुन्य द. एक तीन प्रतिशत) |
| ६ | एक करोड सतरी लाख माथि जटिसुकै भएपनि | ०.२०% प्रतिशत(शुन्य द. दुइ सुन्य प्रतिशत) |

जग्गाको मुल्यांकन गर्नको लागि नगरपालिकाले समिति गठन गरि प्राप्त प्रतिवेदनको अधारमा नगरकार्यपालिले तोकिने छ ।

अनुसूची १ (ख)
(दफा ३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)
घर तथा भवन संरचनाको मुल्यांकनको दर रु. (प्रति वर्ग फिट)

| क्र | पक्का इटा वा हुँगामा माटोको जोडाई जोडाई र RCC छाना वा सिमेण्ट जोडाई र RCC छाना | पक्का इटा वा हुँगामा माटोको जोडाई जोडाई र RCC छाना वा सिमेण्ट जाडाई जस्ता छाना | | पक्का इटा वा हुँगामा माटो जोडाई जस्ता र टायल खरको छाना | | काठ फलाम वा सिमेण्टको खाबे घर जस्ता टायल खरका छाना | | काठ सिमेण्टको खाबा टिन टायल छाना भएको भुई टाड घर | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|
| | | क्षेत्र | व्यापारिक अद्यौगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक अद्यौगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक अद्यौगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक अद्यौगिक तथा संस्थागत | | |
| क | प्रमुख व्यापारिक | ८४४ | ८१३ | ५६३ | ५२५ | ३१३ | २७५ | २५० | २३१ | १२५ | १०६ |
| ख | व्यापारिक | ८१३ | ७८१ | ५५० | ५१३ | ३०० | २६३ | २४४ | २२५ | ११९ | १०० |
| ग | औद्योगिक | ७८१ | ७५० | ५३८ | ५०० | २८८ | २५० | २३८ | २१९ | ११३ | ९४ |
| घ | प्रमुख आवासीय | ७५० | ७१९ | ५२५ | ४८८ | २७५ | २३८ | २३१ | २१३ | १०६ | ८८ |
| ङ | आवासीय | ७१९ | ६८८ | ५१३ | ४७५ | २६३ | २२५ | २२५ | २०६ | १०० | ८१ |
| च | कृषि | ६८८ | ५०० | ५०० | ४३८ | २५० | १८८ | २१३ | १७५ | ९४ | ६३ |
| छ | प्रमुख व्यापारिक | ८४४ | ८१३ | ५६३ | ५२५ | ३१३ | २७५ | २५० | २३१ | १२५ | १०६ |

अनुसूची १ (ग)
 (दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
 भवन तथा घर संरचनाको ह्लास कट्टी दर

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|--------------------|
| संरचनाको किसिम → संरचनाको आयु ↓ | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर | सिमेण्ट जोडाईमाइंटको गारो - आर.सि.सि. छाना | सिमेण्ट र इँटाको जोडाईमा जस्ता / टायलको छाना वा आरसिसि पिल्लर, ईंटा र सिमेण्टको जोडाईमा टिनको छानो | माटो र इँटाको जोडाईमा- जस्ता/टायलको छाना | सेड वा कच्ची घर |
| ह्लास कट्टी गर्ने वर्ष सम्म | ७५ | ६० | २५ | १५ | १० |
| ह्लास कट्टी दर प्रतिशतमा | १.२ | १.५ | ३.६ | ६ | ९ |

अनुसूची २
 (विधेयको दफा ४ सँग सम्बन्धित)
भूमिकरको दर

- नोट : करदाताले तिर्नुपर्ने करमा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत सेवाशुल्क कायम गरिएको छ ।
- नापी सम्पन्न भई नसकेका र मालपोत विधेयक, २०३४ लागू नभएका क्षेत्रका जग्गाको हकमा नापी हुनुभन्दा अधिको कित्ताको आधारमा प्रति धूर रु.३ का दरले भूमीकर लिइनेछ ।
- मालपोत असुली :-
- (क) जग्गा जमिनको मालपोत दस्तुरको हकमा :

| अवल | | | दोयम | | | सिम | | | चाहर | | |
|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| प्रति विर्गहा | प्रति कट्टा | प्रति धूर |
| २००। | १०। | ०।५० | १८०। | ९। | ०।४५ | १६०। | ८। | ०।४० | १५०। | ७।५० | ०।४० |

- नोट : न्युन्तम मालपोत रकम रु. १०१०० कायम गरिएको छ । साथै मालपोत दस्तुरमा लाग्ने दण्ड जरिवाना नियमानुसार लाग्ने छ ।
- बहाल विटोरी कर माथि उल्लेखित दरमा नै लिने निर्णय गरियो ।
- नोट : बहाल विटोरी कर तिरे वापत जग्गाको स्वामित्व हस्तमान्तरण हूने छैन् ।

अनुसूची ३
(विधेयकको दफा ५ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

घर जग्गा बहाल करको दर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कृनै प्रकृतिक व्यक्तिको घरआवासीय वा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि पूरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा वार्षिक बहाल रकममा १० (दश) प्रतिशतका दरले बहाल करअसुल गरिने छ ।

अनुसूची ४

(एनको दफा ६ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

क

व्यवसाय इजाजत दस्तुर तथा व्यवसाय करको दर

| क्र स | वर्ग | उप वर्ग | व्यवसायको नाम | स्वरोजगारमुलक ५लाख पुँजी २०लाख कारोबार वार्षिक (रकम रु.) | साना व्यवसाय २० लाख पुँजी वा १ करोड वार्षिक कारोबार (रकम रु.) | सानामझौला व्यवसाय ३०लाख पुँजी ५करोड वार्षिक कारोबार (रकम रु.) | ठुला मझौला व्यवसाय १ करोड पुँजी वा १५करोड वार्षिक कारोबार (रकम रु.) | ठुला उद्योग तथा व्यवसाय १ करोड माथि पुँजी वा १५ करोडभन्दा माथिबार्षिक कारोबार (रकम रु.) |
|-------|------|---------|---|--|---|---|---|---|
| | | | नयाँ व्यवसाय इजाजत दस्तुर | ५००। | २००।। | ३००।। | १०००।। | २५००।। |
| १ | १ | | दैनिक उपभोग्य बस्तु | | | | | |
| २ | | १ | किराना पसल | १,०००।० | १,५००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | १००,०००।० |
| ३ | | २ | डिपार्टमेण्ट स्टोर सपिङ्ग सेन्टर | - | ५,०००।० | १०,०००।० | ३०,०००।० | १००,०००।० |
| ४ | | ३ | कफि हाउस | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| ५ | | ४ | सटिङ्ग सुटिङ्ग युनिफर्म हाउस | - | ३,०००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | - |
| ७ | | ५ | तरकारी पसल सबै किसीमको | १,०००।० | १,५००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | १००,०००।० |
| ८ | | ६ | चियापत्ती विक्री सो रुम | (| ३,०००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | १००,०००।० |
| ९ | | ७ | पान पसल | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| १० | | ८ | श्रृंगार तथा मनिहारी पसल कस्मेटीक | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | १००,०००।० |
| ११ | | ९ | उपहार तथा गिफ्ट सामानका पसल होलसेल समेत | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | १००,०००।० |
| १२ | | १० | कुचो चित्रा नाला माटाका भांडा इत्यादि व्यवसाय | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| १३ | | ११ | मैन वर्ती उत्पादन विक्री | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| १४ | | १२ | टेलरिङ्ग | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| १५ | | १३ | बुटीक व्यवसाय | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| | २ | | होटल तथा पर्यटन व्यवसाय | | | | | |
| १५ | | १ | रिसोर्ट | - | १०,०००।० | २५,०००।० | ५०,०००।० | १००,०००।० |

| | | | | | | | |
|----|----|--|---------|----------|----------|----------|-----------|
| १६ | २ | रेष्टुरेण्ट एण्ड बार होटलहरु समेत | १,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | ५०,०००१० | १००,०००१० |
| २७ | १० | साना चिया पसल | १,०००१० | - | - | - | - |
| २८ | ११ | कोलड्रिंग्स | - | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| | ३ | कपडा तथा रेडिमेट कपडा व्यवशाय | | | | | |
| २९ | १ | क)थान कपडा विक्रेता | १,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | १००,०००१० |
| ३० | २ | ख)रेडीमेड कपडा विक्रेता | १,०००१० | २,०००१० | ७,०००१० | १०,०००१० | - |
| ३१ | ३ | ग)सबै किसिमका कपडा विक्रेता | १,०००१० | २,०००१० | ७,०००१० | १०,०००१० | - |
| | ४ | निर्माण सामग्री तथा रंगरोगन व्यवशाय | | | | | |
| ३२ | १ | हार्डवेयर पसल सबै भएको | ३,०००१० | ५,०००१० | २५,०००१० | ३५,०००१० | ५०,०००१० |
| ३३ | २ | रंगरोगन डिलर,रंग मल | २,०००१० | ४,०००१० | १५,०००१० | २५,०००१० | ३५,०००१० |
| ३४ | ३ | सिसा सामान विक्री पसल ग्लासहाउस | १,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | ५०,०००१० |
| ३५ | ४ | सिमेन्ट डिलर | - | - | १५,०००१० | २५,०००१० | ५०,०००१० |
| ३६ | ५ | छड सिमेन्ट डिलर | - | - | १५,०००१० | २५,०००१० | ५०,०००१० |
| ३७ | ६ | स्टिल ,आलमुनियम व्यवसाय | २,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | ५०,०००१० |
| ३८ | ७ | फलाम भ्यालढोका व्यवसाय | २,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | ५०,०००१० |
| ३९ | ८ | इटा व्यवसाय विक्री डिपोमात्र | - | १०,०००१० | २५,०००१० | - | - |
| ४० | ९ | वालुवा गिटि ढुङ्गा माटो भरोट व्यवसाय | ५,०००१० | १०,०००१० | २५,०००१० | - | - |
| | १० | प्लाइ, ढोका व्यवसाय | २,५००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| ४१ | ११ | होम डेकोर | - | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| ४२ | १२ | फलोरिं फर्निसिं | - | ५,०००१० | १०,०००१० | १५,०००१० | ५०,०००१० |
| ४३ | १३ | टायल मार्वल सेनिटरी व्यवसाय | २,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | १५,०००१० | २५,०००१० |

| ४४ | | १४ | प्लाइ हाउस | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २५,०००।० |
|----|---|----|--|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | ५ | | विद्युतीय सामानहरूको व्यवसाय | | | | | |
| ४५ | | १ | इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको व्यवसाय | - | ५,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| ४६ | | २ | इलेक्ट्रीक सामानहरू व्यवसाय | २,०००।० | ४,०००।० | ८,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| ४७ | | ३ | मोबाइल सोरूम कम्पनीको | - | - | १०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| ४८ | | ४ | मोबाइल विक्री व्यवसाय | २,०००।० | ४,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| | ६ | | कृषि जन्य उत्पादन विक्री वितरण | | | | | |
| ४९ | | १ | दुर्घट डेरी व्यापार | १,०००।० | २,०००।० | ५,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| ५० | | २ | कुखुरा, माछा, गाई, भैंसी सुगुर पसु पञ्ची सबै पालन फर्म | २,०००।० | ४,०००।० | ८,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| ५१ | | ३ | कृषि सामग्री वितु विजन व्यवसाय | | २,०००।० | ३,०००।० | १०,०००।० | ५०,०००।० |
| ५२ | | ४ | पशु पञ्ची आहार उत्पादन व्यवसाय | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| ५३ | | ५ | कम्पोट मल उच्चोग | १,५००।० | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | १००,०००।० |
| ५४ | | ६ | बधसाला | - | - | - | ५,०००।० | २५,०००।० |
| ५५ | | ७ | सबै प्रकारका माछा मासु विक्री पसल | १,५००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० | - | - |
| ५६ | | ८ | अण्डा विक्री पसल होलसेल | १,५००।० | - | ५,०००।० | - | - |
| ५७ | | ९ | दुर्घट घ्यू नौनि, चिज उत्पादन फ्याक्ट्री | - | - | २०,०००।० | ३५,०००।० | ५०,०००।० |
| ५८ | | १० | निजी नरसरी | १,५००।० | २,०००।० | २,५००।० | ५०,०००।० | |
| ५९ | | ११ | कपास विक्रेता होलसेल तथा आयात कर्ता | - | - | १,०००।० | २०,०००।० | - |
| ६० | | १२ | बास विक्रेता | २,५००।० | ५,०००।० | - | - | - |
| | ७ | | सुनचाँदी तथा बहुमुल्य धातु व्यवसाय | | | | | |
| ६१ | | १ | सुन चाँदी बहुमुल्य धातु व्यवसाय कारखाना सहित | - | - | १५,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |

| | | | | | | | |
|----------|----|---|---------|---------|----------|----------|-----------|
| ६२ | २ | सुन चाँदी बहुमुल्य धातु व्यवसाय कारखाना नभएका | - | ५,०००१० | १०,०००१० | १५,०००१० | - |
| ६३ | ३ | सुन चाँदी गरगहना बनाउने कारखाना | - | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| ६४ | ४ | अन्य गरगहना पथर,सिटी गोल्ड पसल | १,५००१० | ३,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| ६५ | ५ | बहुमुल्य धातु व्यवसाय | - | - | २०,०००१० | ३०,०००१० | ५०,०००१० |
| ७५ | १० | जग्गा खरीदविक्री | - | - | - | ५०,०००१० | १००,०००१० |
| ७६ | ११ | विदेसी मुद्र सटही | - | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| ७७ | १२ | हाउजिं कम्पनी व्यवसाय रियल स्टेट | - | - | - | - | १००,०००१० |
| ७८ | १३ | आइ एम इ ,मनिष्ट्रसफर,इ सेवा बेवसाय | २,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | - | - |
| ७९ | १४ | विज्ञापन एजेन्सी | - | ५,०००१० | १०,०००१० | ३०,०००१० | ४०,०००१० |
| ८० | १५ | विमा सम्बन्धी एजेन्सी | - | ५,०००१० | १०,०००१० | ३०,०००१० | ४०,०००१० |
| ८१ | १६ | ट्रेडलिंक कम्पनी,एजेन्सी कम्पनी ,व्यापार एजेन्सी | - | - | १५,०००१० | २०,०००१० | ५०,०००१० |
| ८ | | सवारी साधन खरीद विक्री | | | | | |
| ८२ | १ | साइकल रिक्सा विक्री पसल | - | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| ८३ | २ | मोटरसाइकल स्कुटर विक्री सोरूम | - | - | १५,०००१० | ३०,०००१० | ५०,०००१० |
| ८४ | ३ | टेम्पो ,सफा टेम्पो विक्री केन्द्र | - | - | १०,०००१० | २०,०००१० | ५०,०००१० |
| ८५ | ४ | विद्युतिय सवारी सिटी सफारी, मोटरसाइकल, कार,बस,विक्री व्यवसाय | - | ५,०००१० | १०,०००१० | १५,०००१० | २५,०००१० |
| ८६ | ५ | कार जिप साना सवारी विक्री व्यवसाय | - | - | - | २५,०००१० | ५०,०००१० |
| ८७ | ६ | मिनिट्रक,मिनि बस,विक्री व्यवसाय | - | - | - | ३०,०००१० | ५०,०००१० |
| ८८ | ७ | सबै प्रकारका चारचक्के सवारी विक्री व्यवसाय | - | - | - | - | १००,०००१० |
| ८९ | ८ | पावर ट्रिलर ट्रायाक्टर व्यवसाय | - | - | २०,०००१० | ३०,०००१० | ५०,०००१० |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------|---------|----------|----------|-----------|
| १० | | ९ | टेवी इक्विपमेण्ट जेसिवी,डोजर,रोलर, इत्यादी सबैखाले | - | - | - | - | १००,०००।० |
| ११ | | १० | हेल्मेट हाउस | १,५००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० |
| | | १ | स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | | | | | |
| १२ | | १ | नर्सिङ्होम | - | - | - | - | ५०,०००।० |
| १३ | | २ | सबै प्रकारका अस्पताल प्रा.लि. | - | - | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| १४ | | ३ | लिक्निक सबै प्रकारकारका | - | - | ५,०००।० | १०,०००।० | ५०,०००।० |
| १५ | | ४ | दन्त हस्पिटल | - | - | ५,०००।० | १०,०००।० | ५०,०००।० |
| १६ | | ५ | मेडिकल कलेज | - | - | - | - | २५०,०००।० |
| १७ | | ६ | भेटेनरी हस्पीटल पसु सेवा | - | - | - | २५,०००।० | ५०,०००।० |
| १८ | | ७ | आँखा लिक्निक चश्मा विक्रीसहित | १,०००।० | १,५००।० | २,५००।० | | |
| १९ | | ८ | प्रकृतिक चिकित्सा अक्यूपंचर | - | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | - |
| १०० | १० | | औषधि पसलहरु | | | | | |
| १०१ | | ९ | क)एलोपेथिक औषधि पसल | १,५००।० | २,५००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | ५०,०००।० |
| १०२ | | १० | ख)होमियोपेथिक,आयुर्वेदिक औषधि पसल | २,०००।० | ३,०००।० | ४,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० |
| १०३ | | ११ | घ)भेटेनरी पसुऔषधि पसल | १,५००।० | २,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० |
| १०४ | | १२ | स्वास्थ्य कर्मी व्यवसाय विशेसज्ज डक्टर हरुसमेत | १,०००।० | २,०००।० | ३,०००।० | | |
| १०५ | | १३ | इक्वीपमेन्ट वाट जांच गर्ने एक्सरे लिक्निक ,ल्याव सबै | १,५००।० | २,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० |
| | | ११ | सुर्तिजन्य व्यवसाय | | | | | |
| १०६ | | १ | सुर्तिजन्य सामान विक्रेता | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---------|----------|----------|----------|-----------|
| १०७ | २ | सुर्टि थोक विक्रेता | - | - | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| १०८ | ३ | चुरोट विक्री डिलर | - | - | - | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| | १२ | हल्का पेय पदार्थ खरिद विक्री | - | - | - | - | - |
| १०९ | १ | हल्का पिउने पानी ,कोक, पेप्सी डिलर विक्रेता | - | - | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| | १३ | उद्योग व्यवशाय | - | - | - | - | - |
| ११० | १ | मैदा मिल ठुला उद्योग | - | - | - | - | १००,०००।० |
| १११ | २ | चाउचाउ उद्योग ठूलो | - | - | - | - | १००,०००।० |
| ११२ | ३ | चाउचाउ (नुडल्स) का लघु उद्योग | २,०००।० | ५,०००।० | - | - | - |
| ११३ | ४ | विस्कुट उद्योगहरु | - | ५,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| ११४ | ५ | चप्पल उद्योग उद्योग | - | - | ३०,०००।० | ५०,०००।० | १००,०००।० |
| ११५ | ६ | सलाई उद्योग उद्योग | - | - | - | २०,०००।० | १००,०००।० |
| ११६ | ७ | प्लाइड उद्योग उद्योग | - | - | - | ४०,०००।० | १००,०००।० |
| ११७ | ८ | कपड़ा ,धागो उद्योग | - | - | - | ७०,०००।० | १५०,०००।० |
| ११८ | ९ | बरफ उद्योग | २,०००।० | ५,०००।० | - | - | - |
| ११९ | १० | कन्फेक्सनरी ठुला उद्योग | - | १५,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० | - |
| १२० | ११ | स्टिल टयांकी पोलीथीन टेंकी निर्माण उद्योग | - | - | - | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १२२ | १२ | काष्ठ उद्योग(स-मिल)फर्निचर उद्योग | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १२३ | १३ | स्टेसनरी वा कपी उद्योग | १,५००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | ३०,०००।० | - |
| १२४ | १४ | सबै प्रकार छापाखाना (प्रिन्टिंग) | १,५००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | ५०,०००।० |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| १२५ | १५ | मदिरा उद्योग डिस्ट्रिलरी बुअरी | - | - | - | - | - | २५०,०००।० |
| १२६ | १६ | हल्का पेय (जुस) पदार्थ उत्पादन उद्योग | ५,०००।० | ७,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १२७ | १७ | प्लाष्टिक उद्योग बोतल ,कुर्सी भोला इत्यादी | - | १०,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १२८ | १८ | पाउरोटी, केक, पेस्टी, डुनोट उद्योग | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १२९ | १९ | ग्रील उद्योग तथा फलाम जन्य सबै उत्पादन ढोका,भयाल इत्यादी | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | |
| १३० | २० | गलैंचा उद्योग | - | - | १०,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | |
| | २१ | गार्मेन्ट्स ठुला उद्योग | - | २०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० | १००,०००।० | |
| १३२ | २२ | कुटानी पिसानी पेलानी मसला चामल तेल उद्योग | १,५००।० | २,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | |
| १३३ | २३ | सेलर मिल टिमर सहीत | - | - | २०,०००।० | ५०,०००।० | १००,०००।० | |
| १३४ | २४ | भुजीया ,चिप्स जन्य उद्योग | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १३५ | २५ | दुग्ध डेरी उद्योग | - | - | - | ३०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १३६ | २६ | ह्याचरी उद्योग | - | - | - | - | ५०,०००।० | |
| १३७ | २७ | आहारा उद्योग सबै प्रकारका | - | - | - | ३०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १३८ | २८ | कृषी समग्री वित्र विजन रासायनिक मल उद्योग | - | - | - | २०,०००।० | ५०,०००।० | |
| १४१ | ३१ | रिड.,डुड,गमला,साना पिलर,ब्लक,टायल, इत्यादी | १,५००।० | २,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | - | |
| १४२ | ३२ | सिमेन्टका ब्लक पोल हयूमपाइप बनाउने ठुला उद्योग | - | - | - | ५०,०००।० | १००,०००।० | |
| १४४ | ३४ | तामा, पित्तल, आल्मुनियम, फलाम, जस्ता, धातुको उद्योग(घरेलु) ठुला उद्योग समेत | - | ४,०००।० | ८,०००।० | २५,०००।० | ५०,०००।० | |
| १४५ | ३५ | जुता तथा व्याग उद्योग, स्विटर,ज्याकेट लेदर | २,०००।० | ३,०००।० | १५,०००।० | २५,०००।० | ५०,०००।० | |
| १४६ | ३६ | चिया उद्योग प्याकेजिङ समेत | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | २५,०००।० | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---------|----------|----------|----------|-----------|
| १४७ | | ३७ | गार्मेन्ट उद्योग | - | - | - | ५०,०००।० | १००,०००।० |
| १४८ | | ३८ | तान राखी कपडा बुन्ने | १,०००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० |
| १४९ | | ३९ | लोहोरो सिलौटो बनाउने | १,०००।० | - | - | - | - |
| १५० | | ४० | कागज उद्योग हाते | १,५००।० | २,०००।० | ३,०००।० | - | - |
| १५१ | | ४१ | जुट उद्योग | - | - | १०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १५२ | | ४२ | रिलायन्स धागो फ्राक्ट्री | - | - | - | - | २००,०००।० |
| १५३ | | ४३ | क्रसर उद्योग | - | - | - | ५०,०००।० | १००,०००।० |
| १५४ | | ४४ | चिउरा भुजा मिल | - | - | १०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १५५ | | ४५ | केमिकल वर्क एण्ड घरेलु उद्योग | - | - | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० |
| १५६ | | ४६ | मिनरल वाटर उच्चांग | - | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २५,०००।० |
| १५७ | | ४७ | कथा उद्योग | - | - | - | २५,०००।० | ५०,०००।० |
| १५८ | | ४८ | आइसक्रिम उद्योग | - | - | १५,०००।० | २५,०००।० | ५०,०००।० |
| | १४ | | शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय | | | | | |
| १५९ | | १ | पुर्व प्रथमिक मन्टेस्वरी तह | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | - | - |
| १६० | | २ | आधारभुत तह | - | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० |
| १६१ | | ३ | मा वि | - | ८,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० |
| १६२ | | ४ | कलेज क्याम्पस, प्राविधिक कलेज सबैप्रकारका | - | १५,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १६३ | | ५ | नर्सिङ कलेज | - | () | १५,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० |
| १६४ | | ६ | प्राविधिक शिक्षालय तालिम केन्द्र | - | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| १६५ | ७ | विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र | - | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | ५०,०००।० |
| १६६ | ८ | भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरु | - | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २५,०००।० |
| १६७ | ९ | सफ्टवयेर वेवपेज निर्माण व्यवसाय | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | २५,०००।० |
| १६८ | १० | कम्प्यूटर ट्रेनिङ सेन्टर | १,५००।० | २,०००।० | - | - | - |
| १६९ | ११ | ड्राइभिसेन्टर | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | - | - |
| १७० | १२ | पोलिटेक्निक प्रालि सि टि भि टि प्रशिक्षण केन्द्र | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | - |
| १७१ | १३ | सिलाइ कटाइ प्रशिक्षण | २,०००।० | - | - | - | - |
| १५ | | उर्जामुलक व्यवसाय | | | | | |
| १७२ | १ | सोलार पावर व्यवसाय | ५,०००।० | १०,०००।० | - | - | - |
| १७३ | २ | व्याट्री उत्पादन विक्री उद्योग | ५,०००।० | १०,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १६ | | विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य सेवा व्यवसाय | | | | | |
| १७४ | १ | घरनक्सा निर्माण परामर्श कन्सल्टन्सी | १०,०००।० | १५,०००।० | - | - | - |
| १७५ | २ | अन्य परापर्श सेवाहरु,चिना टिपन | ३,०००।० | - | - | - | - |
| १७६ | ३ | शैक्षीक परामर्श केन्द्र कन्सलटेन्सी | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | - | - |
| १७७ | ४ | रोजगार प्रदानगर्ने व्यवशाय | | | | | |
| १७८ | ५ | बैदेशिक रोजगार | (| १०,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | - |
| १७९ | ६ | स्वदेसी रोजगार व्यवसाय सेक्युरिटी गार्ड जस्ता | १,५००।० | २,०००।० | २,५००।० | - | - |
| १७० | ७ | मर्मत संभार व्यवसाय | | | | | |
| १८० | १ | सबै प्रकारका मोटर पार्ट्स मिल मेसीनरी व्यवसाय | ३,५००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | २५,०००।० | ५०,०००।० |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| १८१ | २ | रिक्सा साइकल पार्ट्स व्यवसाय | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - | - |
| १८२ | ३ | सवैखालका टायर व्यवसाय | ३,५००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | - |
| १८२ | ४ | बस, ट्रक, आदिको बडी विल्डर्स | - | - | १०,०००।० | १५,०००।० | - |
| १८३ | ५ | हेवी लेथ तथा ड्रिल मेसिन राखि सवारी मर्मत | - | २०,०००।० | २५,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १८४ | ६ | लाइट लेथ तथा ड्रिल मेसिन राखि सवारी मर्मत | - | ५,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | - |
| १८५ | ७ | बस, ट्रक, ट्याक्टर तथा अन्य साना सवारी मर्मत (ग्यारेज) | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | - |
| १८६ | ८ | टायर रिसोलिंग, | ५,०००।० | १०,०००।० | १५,०००।० | २०,०००।० | - |
| १८७ | ९ | सवारी साधन रंग रोगान डेन्टीड पेन्टीड | २,०००।० | ३,०००।० | ४,०००।० | ५,०००।० | - |
| १८८ | १० | पुरानो टायर विक्री तथा हावा भर्ने | १,०००।० | २,०००।० | ३,०००।० | - | - |
| १८९ | ११ | रिक्साको बडी बनाउने मर्मत गर्ने | १,०००।० | - | - | - | - |
| १९० | १२ | साइकल, रिक्सा मर्मत पसल | १,०००।० | - | - | - | - |
| १९१ | १३ | टि.भी., कम्प्यूटर, टेलिफोनसेट, पंखा, डेक, रेडियो क्याल्कुलेटर, घडी, एम्प्लफायर, माइक आदि मर्मत पसल | १,५००।० | २,०००।० | - | - | - |
| १९२ | १४ | सिलाई बुनाई, मेसिन, ग्यास, चुल्हो, मैन्टोल, स्टोभ, लाइट, मर्मत पसल | १,५००।० | २,०००।० | - | - | - |
| १९३ | १५ | मोवाइल मर्मत तथा विक्री व्यवसाय | २,०००।० | - | - | - | - |
| १९४ | १६ | अटो (गाडी) वासिङ सेन्टर | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - | - |
| १९५ | १७ | मनोरञ्जन व्यवसाय | - | - | - | - | - |
| १९५ | १ | सिनेमाहल आइ सिनेमाहल | - | - | २०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| १९६ | २ | थ्रि डी, १२डी, अत्याधुनिक | ५,०००।० | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| १९७ | ३ | मेला रमाइलो मेला ,जु चिडीया घर, | - | १०,०००१० | २०,०००१० | ३०,०००१० | ५०,०००१० |
| १९८ | ४ | फन पार्क,पिकनीक स्पोर्ट, स्विमिङ्गपुल | - | १०,०००१० | १५,०००१० | २०,०००१० | ५०,०००१० |
| १९९ | ५ | वैण्ड पाटीवाजा, पन्चे वाजा | १,०००१० | २,०००१० | - | - | - |
| २०० | ६ | खेलकुद सामग्री, जिम फिजिकल फिटनेस सामान व्यवसाय | ३,०००१० | ६,०००१० | - | - | - |
| २०१ | ७ | पुल हाउस | ३,०००१० | ५,०००१० | ८,०००१० | - | - |
| २०२ | ८ | फुटवल ट्रैनिंग व्यवसाय फुटसल | - | २,०००१० | ५,०००१० | - | - |
| २०३ | ९ | जिम सेन्टर | - | ५,०००१० | १०,०००१० | १५,०००१० | - |
| १९ | | खेलकुद पुस्तक तथा स्टेशनरी | | | | | |
| २०४ | १ | पुस्तक तथा खेलकुद सामग्री स्टेशनरी विक्री पसल | ३,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | २०,०००१० | ५०,०००१० |
| २० | | इन्धन खरीद विक्री व्यवसाय | | | | | |
| २०५ | १ | पेट्रल, डिजेल समेतको २ पम्पलाई | - | ८,०००१० | १२,०००१० | २५,०००१० | ५०,०००१० |
| २०६ | २ | लुब्रिकेशन पसललाई | १,५००१० | २,५००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | - |
| २०७ | ३ | मटीतेल डिलर | २,०००१० | ३,०००१० | ६,०००१० | १०,०००१० | ५००,०००१० |
| २०८ | ४ | रयाँस विक्री गर्ने पसल डिलर | १,५००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | - |
| २०९ | | कोइला व्यवसाय | - | - | १२,०००१० | २०,०००१० | - |
| २१ | | संचार व्यवसाय | - | - | | | |
| | १ | टेलिभिजन स्टेशन | - | - | - | १००,०००१० | १५०,०००१० |
| २१० | २ | रेडियो स्टेशन | - | ५,०००१० | ८,०००१० | - | - |
| २११ | ३ | पत्रपत्रिका प्रकाशन | २,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|----------|----------|----------|-----------|
| २१२ | ४ | अनलाइन पत्रिका | १,०००१० | २,०००१० | ५,०००१० | - | - |
| २१३ | ५ | केवुल नेटवर्क इन्टरनेट सेवा ,डि स होम सहित टि भी संचालन फ़इवरमा | | | ३०,०००१० | ५०,०००१० | १००,०००१० |
| २१४ | ६ | साइवर क्याफे संचालन | १,०००१० | २,०००१० | ३,०००१० | - | - |
| २१५ | ७ | टेलीफोन फ्याक्स,फोटोकपी,कुरीयर व्यवसाय | १,०००१० | २,०००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | - |
| २१६ | ८ | एनसेल कम्पनी मोबाइल संचालन व्यवसाय | - | - | - | - | ५०,०००१० |
| २१७ | ९ | सिम रिचार्ज व्यवसाय | २,०००१० | - | - | - | - |
| २२ | | कानूनी सेवा परामर्शहरू | | | | | |
| २१८ | १ | लेखा परिक्षण (क्रमशः सि.ए.र एफ.सि.ए.) | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - | - |
| २१९ | २ | लेखा परिक्षण व्यवसाय (क्रमशः डि.सि.र वि) | १,०००१० | १,५००१० | - | - | - |
| २२० | ३ | कानूनी सेवा (क्रमशः अधिवक्ता र अधिवक्ता) | १,०००१० | २,०००१० | | | |
| २३ | | अन्य सेवा व्यवसाय | | | | | |
| २११ | १ | स्टुडीयो | २,५००१० | ३,०००१० | ५,०००१० | - | - |
| २२० | २ | सिनेमा,चलचित्र निर्माण उद्योग | - | - | ५,०००१० | - | - |
| २२१ | ३ | कलरल्याव | ४,०००१० | ५,०००१० | १०,०००१० | - | - |
| २२२ | ४ | कपडा धुलाइ ड्राइलिंग,ट्यामलर वास | १,५००१० | २,०००१० | ४,०००१० | - | - |
| २२३ | ५ | सेलुन व्यवसाय मसाज सेन्टर | १,०००१० | १,५००१० | ३,०००१० | - | - |
| २२४ | ६ | व्युटिपार्लर व्यवसाय | १,०००१० | २,०००१० | ४,०००१० | - | - |
| २२५ | ७ | साईन बोर्ड बनाउने रवर स्टाम्प बनाउने आर्ट पसल | १,०००१० | ५,०००१० | - | - | - |
| २२६ | ८ | फ्लेक्स बोर्ड बनाउने | २,०००१० | २,५००१० | ३,०००१० | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| २२७ | ९ | कवाडी संकला तथा विक्री केन्द्र | - | १०,०००।० | २०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |
| २२८ | १० | ढल तथा सेफ्टीट्रायांकी सरसफाइ व्यवसाय | - | - | ५,०००।० | - | - |
| २२९ | ११ | डिजिटल नम्बर प्लेट,डिजिटल वोर्ड | १,५००।० | २,०००।० | - | - | - |
| २३० | १२ | टेण्ट हाउस | ५,०००।० | ८,०००।० | १५,०००।० | - | - |
| २३१ | १३ | ट्रु अपरेटर ट्रभल एजेन्सी | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | - | - |
| २३२ | १४ | दुवानी सेवा | २,५००।० | ३,०००।० | ५,०००।० | - | - |
| २३३ | १५ | पन्चेवाजा ब्रासवेण्ड पार्टी | १,०००।० | २,०००।० | (| - | - |
| २४ | | काठ, स्टील तथा फर्निचर कारखाना व्यवसाय | | | | | |
| २३४ | १ | काठ स्टील तथा फर्निचर कारखाना व्यवसाय | ३,०००।० | ५,०००।० | १०,०००।० | ३०,०००।० | ५०,०००।० |

| स्तर तथा पुजीका आधारमा | | | | | | | |
|------------------------|----|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | २५ | तारेहोटलहरु | | | | | |
| २३५ | १ | क) एकतारे होटल | - | - | ३०,०००।० | ५०,०००।० | १००,०००।० |
| २३६ | २ | ख)दुइतारे होटल | - | - | ५०,०००।० | ७५,०००।० | १००,०००।० |
| २३७ | ३ | ग)तिन तारे होटल | - | - | ७५,०००।० | ८०,०००।० | १००,०००।० |
| २३८ | ४ | घ)चारतारे होटल | - | - | ९०,०००।० | १००,०००।० | १,५००,०००।० |
| २३९ | ५ | ड)पाचतारे होटल | - | - | १००,०००।० | १५०,०००।० | २००,०००।० |
| २४० | ६ | पार्टीप्यालेस | - | २०,०००।०० | ३०,०००।० | ५०,०००।० | १००,०००।० |

क्षमताका आधारमा

| | | | | | | | |
|-----|--|----|--|----------|----------|----------|----------|
| २४१ | | | लजहरु | | | | |
| २४२ | | १ | भि आइ पी लज ब्लू भएको १० वेड भन्दा माथि | - | | १०,०००।० | |
| २४३ | | २ | मझौला लज | - | | ५,०००।० | |
| २४४ | | ३ | साधारण लज | - | | ३,०००।० | |
| | | २६ | निर्माण व्यवसायी | - | | | |
| २४६ | | १ | क वर्गको निर्माण सेवा | - | - | - | ५०,०००।० |
| २४७ | | २ | ख वर्गको निर्माण सेवा | - | - | ३०,०००।० | - |
| २४८ | | ३ | ग वर्गको निर्माण सेवा | - | २०,०००।० | - | - |
| २४९ | | ४ | घ वर्गको निर्माण सेवा | १०,०००।० | - | - | - |
| | | | वित्तीय सेवा व्यवसाय | | | | |
| २५० | | १ | क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु | - | - | - | ७५,०००।० |
| २५१ | | २ | ख वर्गका वाणिज्य बैंकहरु | - | - | - | ५०,०००।० |
| २५२ | | ३ | आर्थिक कारोबार समेत गर्ने वित्तीय संस्था ग वर्गका | - | - | - | ३०,०००।० |
| २५३ | | ४ | सहकारी बैंक वा वित्तीय कारोबार गर्ने १ करोड पुँजी कटेका सहकारी संस्था घ वर्गको | - | - | - | २५,०००।० |
| २५४ | | ५ | सहकारी संस्था ५ करोड पुँजी कटेका | - | - | - | २०,०००।० |
| २५५ | | ६ | साना सहकारी संस्था १ करोड देखि ५ करोड सम्म पुँजी भएका | - | - | - | १०,०००।० |
| २५६ | | ७ | अन्य साना सहकारी संस्था सबैलाई | - | - | - | ५,०००।० |
| २५७ | | ८ | वीमा कम्पनी | - | - | - | १०,०००।० |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| २५८ | | १ | कमिसन एजेण्ट | - | - | - | - | - | ५,०००।० |
| इटा भट्टाहरू | | | | | | | | | |
| २५९ | | १ | इटा टायल भट्टा २ चिम्नी भएका उद्योग | - | - | - | - | - | १००,०००।० |
| २६० | | २ | इटा टायल भट्टा १ चिम्नी भएका उद्योग | - | - | - | - | - | ५०,०००।० |

दैनिक गुद्री हाटबजार ठेकका दर

(ख) साप्ताहिक वादैनिक व्यवसाय गुद्री हाटकरको दर :

| क्र.सं. | विवरण | दस्तुर | कैफियत |
|---------|--|----------|--------|
| १ | खटियामा सामान राखी बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | रु. २५।- | |
| २ | रेडिमेड सामान खटियामा राखी बिक्री गर्ने पसलमा | रु. ३०।- | |
| ३ | थान कपडा बिक्री गर्ने पसलमा | रु. ३५। | |
| ४ | फलामका औजार तथा सामान बिक्री पसलमा | रु. २०।- | |
| ५ | जुता चप्पल बिक्री पसल ठुलोमा | रु. ३५।- | |
| ६ | फलफुल नास्ता ठेलामा राखी बिक्री गर्ने पसलमा | रु. ३०।- | |
| ७ | कुखुरा, हाँस बिक्री गर्ने पसलमा प्रति पसल | रु. ७०। | |
| ८ | चटपटी तथा बरफ, आइसक्रिम बिक्री गर्नेसंग | रु. ३०।- | |
| ९ | चिया पसलमा | रु. १०।- | |
| १० | साग, सब्जी डोकामा वा डालामा ल्याई बेच्नेसंग | रु. ३०।- | |
| ११ | सिजन अनुसारको साग सब्जी आलु पसल ठुलोमा | रु. ४०।- | |
| १२ | फोटो फ्रेमिंग तथा बिक्री पसलमा | रु. २०।- | |
| १३ | ढाकीमा ल्याई बेच्ने दाल, चामल, पिठो, च्युरा आदिमा | रु. १०।- | |
| १४ | बिस्कुट, चकलेट, पाउरोटी, साबुन बिक्री गर्ने पसलमा | रु. २५।- | |
| १५ | कपाल काटने सैलुनमा | रु. १५।- | |
| १६ | माछा, मासु, तरकारी पकाई बिक्री गर्ने पसलमा | रु. ४०।- | |
| १७ | चुरी, धागा, टीका आदि शृंगार तथा मनिहारी पसल ठुलोमा | रु. ३०।- | |
| १८ | माटाका भाडा बेच्ने पसल ठुलोमा | रु. ४०।- | |
| १९ | मुरली, बांसुरी, गुलेली, थैली, जुम्हा, उडुस आदी मार्ने औषधी बिक्री गर्नेसंग | रु. १०।- | |
| २० | चामल, दाल बिक्री गर्ने पसल प्रति बोरा | रु. ३०।- | |
| २१ | बीउ विजन बिक्री गर्ने पसलमा | रु. ३५।- | |
| २२ | अदुवा, लसुन, खुर्सानी, कुचो, नालों बेच्नेसंग | रु. ३५।- | |
| २३ | मकै पोली बेच्नेसंग | रु. २०।- | |
| २४ | जडिबुटि बिक्री गर्ने संग | रु. २०।- | |

| | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| २५ | किराना पसलमा | रु. ४।- | |
| २६ | ठुलो सुंगुर काटि वेच्ने प्रतिगोटा | रु. ७०।- | |
| २७ | सानो सुंगुर काटि वेच्ने प्रतिगोटा | रु. ६०।- | |
| २८ | कुखुरा मासु पसल | रु. ५०।- | |
| २९ | अन्य छुटपुट पसलमा | रु. १०।- देखि रु. ४०।-सम्म | |

उल्लेखित कर तथा दस्तुरका दर रेटहरुमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेमा कार्यपालिकाले गर्न सक्ने छ ।

द्रष्टव्य: बार्षिक व्यवसाय प्रमाण पत्र लिएको वा नलिएका तर नगरपालिका क्षेत्रमा समय समयमा सिजन अनुसारको साग सब्जि, आलु, फलफूल आदि ल्याई थोक तथा खुद्रा विक्रि गर्ने गोदाम वा डिलरले साग सब्जि, फलफूल ल्याई विक्रि गर्दा प्रति ट्रकरु. २०।- फलफूल सागसब्जी आदि ल्याएका दिन लिइने छ ।

अनुसूची ५

(विधेयकको दफा ७ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर

| क्र. सं | करको किसिम | करको दर (रकम रु) | कैफियत |
|---------|--|---------------------|--------|
| क) | ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस | - | |
| १. | ऊन (प्राकृतिक, कृत्रिम, जगर) प्रति के. जी. | - | |
| २. | खोटो प्रति के.जी. | - | |
| ३. | जटिबुटीहरु (.....) प्रति के. जी. | - | |
| ४. | बनकस (खर), बाबियो, मलहन पत्ता, छावाली, पराल, वगास, निगालो, लोकता, पटेर, अम्लसो (कुच्चो) प्रति के.जी. | २५पैसा | |
| ख) | कवाडी मालसामान . | - | |
| १. | खाली सीसी (वियर) बोतलको साइज हेरी प्रति गोटा | २५पैसा | |
| २. | खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथि प्रति गोटा | २५पैसा | |
| ३. | खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा तल प्रति गोटा | २५पैसा | |
| ४. | प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किन आदि) प्रति के.जी | २ रुपयां | |
| ५. | खाली बोरा : | | |
| | ५० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टिकका बोरा प्रति गोटा | १ रुपयां | |
| | ५० के.जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा प्रति गोटा | २ रुपयां | |
| | १०० के.जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा प्रति गोटा | ३ रुपयां | |
| ६. | तेलको टिन : | | |

| | | | |
|-----|---|-----------------|--|
| | १० लिटरभन्दा बढी अट्ने ठूलो प्रति गोटा | १ रुपया | |
| | १० लिटरभन्दा कम अट्ने सानो प्रति गोटा | १ रुपया | |
| ७. | पुनः प्रशोधन (रिसाइकलिङ्ग) गरी पुनः प्रयोग हुन सक्ने भिण्डु (प्राकृतिक र कृत्रिम उनका टुक्रा) प्रति के.जी | २ रुपया | |
| | गार्मेण्टको कपडाको टुक्रा प्रति के.जी. | २ रुपया | |
| | जलेको मोविल प्रति लिटर | २ रुपया | |
| | जुट र प्लाष्टिकका बोरा प्रति के.जी. | २ रुपया | |
| | कार्पेटका टुक्रा प्रति के.जी. | ५ रुपयाँ | |
| | टायरट्यूब प्रति के.जी. | ६ रुपयाँ | |
| | थोत्रो टिन प्रति के.जी. | १ रुपयाँ | |
| | पुरानो ड्रम प्रति के.जी. | ५ रुपयाँ | |
| | पुराना कागज (अखबार, न्यूजप्रिन्ट) प्रति के.जी. | १ रुपयाँ.५०पैसा | |
| | पुराना अन्य कागज (कार्टुन समेत) प्रति के.जी. | १ रुपयाँ.५०पैसा | |
| (ख) | धातुका टुक्राहरू र पत्रुभइ काम नलाग्ने भएका धातु सामानहरू (क) फलाम प्रति के.जी. | २ रुपयाँ | |
| | (ख) अन्य धातु (पितल, तामा आदि) प्रति के.जी. | १० रुपयाँ | |
| ग) | (ग) थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार प्रति के.जी. पोलिथिन पाइपका टुक्राहरू प्रति के.जी. | २ रुपयाँ | |
| | सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा प्रति के.जी. | ५ रुपयाँ | |
| | काचको धुलो र टुक्रा प्रति के.जी. | ५ रुपयाँ | |
| | प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मतृ वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला हाँस, कुखुरा जस्ता पञ्छीहरूको प्वाँख प्रति के.जी. | १० रुपयाँ | |
| | हाड प्रति के.जी. | १० रुपयाँ | |
| | सिंग प्रति के.जी. | ५ रुपयाँ | |
| | खूर प्रति के.जी. | ५ रुपयाँ | |
| | छाला (ठूलो) प्रति गोटा | ५० रुपयाँ | |
| | छाला (सानो) प्रति गोटा | ३० रुपयाँ | |

अनुसूची ६

विधेयकको दफा द्वारा उपदफा (२) संग सम्बन्धित

सवारी साधन करको दर

| क्र.सं. | सवारी साधनको किसिम | दर्ता सूल्क रु. | नविकरण दस्तुर रु. | वार्षिक करको दर (रु) | रुट परमिट दस्तुर रु. | जाँचपास दस्तुर रु. |
|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| १. | टाँगा | १०० | १०० | ५०० | ० | ० |
| २. | रिक्सा | २०० | २०० | ५०० | ० | ० |
| ३. | अटोरिक्सा | १००० | ३००० | १५०० | ४०० | ५०० |
| ४. | विद्युतीय रिक्सा तथा स्कुटर | १००० | ३००० | १००० | ४०० | ५०० |

अनुसूची ७

(विधेयकको दफा ९संग सम्बन्धित)

विज्ञापन करको दरः

१. नगरपालिकाद्वारा निर्मित स्थानमा विज्ञापन गर्दा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको दररेट लागु हुनेछ ।
२. तुल राख्ने इजाजत साप्ताहिक रूपमा र अन्य इजाजत वार्षिक रूपमा दिइने छ ।

| क्र. स. | विज्ञापन सामग्रीको किसिम | करको दर (रकम रु) |
|---------|--|------------------|
| १ | लाभको उद्देश्य राखि व्यापार व्यवसाय उद्योग तथा संघ संस्थाले गराउने विज्ञापन वोर्ड वा क्षेत्रलाई प्रति वर्ग फुट | रु. ७०। |
| २ | डिजिटल वोर्ड, डिस्प्ले, ग्लो साइन र यस्ता प्रकृतिका अन्य | रु ९०। |
| ३. | सेवामुलक विज्ञापन वोर्ड वा क्षेत्रलाई प्रति वर्ग फुट | रु. ४०। |
| ४. | तुल तथा व्यावसायिक व्यानर प्रति वर्ग फुट | १०। |
| ५. | टेलिफोन र विजुलीका पोलमा गरिने विज्ञापन प्रति पोल | रु. ३५। |
| ६ | खेलकुद, जात्रापर्व, कर्मसियल विज्ञापनको कार्यक्रममा हुने विज्ञापनकोसबैको | रु ५००। प्रतिदिन |
| ७ | व्यवसायीको पसलको नाम संग विज्ञापन भएको वोर्ड | रु ५० |

नोट : प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका मदिरा, धुम्रपान, खेनी जस्ता पदार्थको विज्ञापन राख्न दिइने छैन ।

अनुसूची ८

(विधेयकको दफा १०को उपदफा(१)संग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन करको दर

| क्र.स. | मनोरञ्जन व्यवसायको किसिम | वार्षिक करको दर (रकम रु) | कैफियत |
|--------|--|-----------------------------|--------|
| १. | सिनेमा हल, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, मनोरञ्जन पार्क, रमाइलो मेला, नाटक, भिडीयोहल, प्रतियोगिता मनोरञ्जनमा | प्रवेश शुल्कको दश प्रतिशत | |
| २. | जादू, सर्कस, चटक, रमाइलो मेला, सांस्कृतिक प्रदर्शनी | दैनिक एक हजार | |
| ३ | केवल नेटवर्क जडान गरेको प्रति ग्राहक मासिक रु | दश १०। | |

अनुसूची ९ (क)

(विधेयकको दफा ११को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

बहाल बिटौरी शुल्कको दर

| क्र.सं. | ठेककाको नाम | न्यूनतम बार्षिक ठेका अंक रु. |
|---------|--------------|---------------------------------|
| १ | बाबाताल | २,००,०००। |
| २ | उत्तरायणी | ४,००,०००। |
| ३ | कमला व्यारेज | २५,०००। |

अनुसूची ९ (ख)

(विधेयको दफा ११ को उपदफा(५) संग सम्बन्धित)

बहाल बिटौरी शुल्क दर

| क्र.सं. | सम्पत्तिको किसिम | उपभोक्तालाई शुल्कको दर (रकम रु.) | व्यक्तिलाई शुल्कको दर (रकम रु.) | कैफियत |
|---------|------------------|--|---------------------------------------|---------|
| १ | रोलर दैनिक रु | रु.५००। | रु.६००। | बार्षिक |
| २ | पानीटयांकी | १००। | २००। | बार्षिक |
| ३ | जे.सी. वि. | रु १५०। | रु. २५०। | बार्षिक |
| ४. | ट्रीपर | रु १५०। | रु २५०। | बार्षिक |
| ५. | अन्य द्याक्टर | १००। | १५०। | बार्षिक |

अनुसूची १०

(विधेयको दफा १२को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

पार्किङ शुल्कको दर

| क्र.सं. | सवारीको किसिम | पार्किङ शुल्क दैनिक (रु) | कैफियत |
|---------|--|--------------------------------|--------|
| १. | क. कोशी, जनकपुर र सगरमाथा अञ्चलमा संचालन हुने भाडाका बस, ट्रकहरुमा दैनिक | रु ३०। | |
| | ख. अन्य अञ्चलमा संचालनहुने भाडाका बस, ट्रकहरुमा दैनिक | रु ५०। | |
| | ग. विदेश बस, ट्रक लहरीमा दैनिक | रु. २०। | |
| | घ. भाडाका द्याक्सी, टेम्पो, कार, जिप, भ्यानमा दैनिक | रु.२०। | |
| | ड स्वदेसी ट्रक, लहरी, हेवी गाडी | रु १००। | |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| | च. स्वदेसी जीप, कार, भ्यान साना सवारी साधन दैनिक | रु. ७०। | |
| | छ. विदेशी जीप, कार, भ्यान साना सवारी साधन दैनिक | रु १५०। | |
| | ज. सिटी सफारी | रु १५। | |
| | झ. निजी कार, जिप, ट्रेपो, भ्यानमा दैनिक | रु २५। | |
| | ज. भाडा तथा निजी ट्रायाक्टर, मिनीबस, मिनी ट्रकमा दैनिक | रु ३०। | |
| | झ. मोटर साइकल | रु १०। | |
| २ | बस पार्कमा पार्किङ गर्दा लाग्ने शुल्क : | | |
| | क) मेची र सगरमाथा अञ्चलमा संचालन हुने बस, मिनीबस | रु २५। | |
| | ख. अन्य अञ्चलमा संचालन हुने भाडाका ट्रायाक्टर | रु ५०। | |
| | ग. बस, ट्रक लहरी, हेवी गाडी | रु २००। | |
| | घ. विदेशी ट्रायाक्टर बस, ट्रक लहरी, हेवी गाडी | रु ३००। | |
| | ड. विदेशी साना सवारी साधन दैनिक | रु १००। | |
| | च. विदेशी जीप, कार, भ्यान | रु ५०। | |
| | छ. सिटी सफारी | रु १५। | |
| ३. | अन्य सवारी साधन | रु. १०। | |

| क्र.सं.. | सवारी पार्किङ गर्दा वार्षिक रूपमा लाग्ने कर | वार्षिक कर |
|----------|--|------------|
| १ | भाडाका बस, ट्रक, लहरी, क्रेन, रोलर, डम्फर, बुल्डोजर, ग्रेडर, ट्रीपर पिनगन आदि र अन्य भारी गाडिमा | ५०००। |
| २ | निजी, बस, ट्रक लहरी क्रेन, रोलर, डम्फर, बुल्डोजर, ग्रेडर, ट्रीपर पिनगन र अन्य भारी गाडिमा | ४०००। |
| ३ | भाडाका मिनिट्रक, मिनीबस | ४०००। |
| ४ | निजी मिनी ट्रक, | ४०००। |
| ५ | निजी मिनी बस | ३०००। |
| ६ | भाडाका जीप भ्यान ल्याण्डरोभर | ४०००। |
| ७ | निजी जीप, भ्यान ल्याण्डरोभर, | ३५००। |
| ८ | भाडा तथा निजी ट्रेपो अटोरिक्सा | ३०००। |
| ९ | निजी तथा भाडाको कार | ३०००। |

अनुसूची ११
 (विधेयको दफा १४ संग सम्बन्धित)
सेवा शुल्क, दस्तुरको दर

| क्र.स. | विवरण | दस्तुर | कैफियत |
|--------|---|----------------------------|--|
| १ | मोही नामसारी सिफारिस | ५००। | एक कठ्ठा भन्दा माथि भए प्रति कठ्ठा थप रु. २५ |
| २ | नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस | १००। | |
| ३ | सर्जमिन गरी गरिने नागरिकता सिफारिस | २००। | |
| ४ | नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस | १००। | |
| ५ | वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सरजमिन | ५००। | थप प्रति सिफारिसको थप दस्तुर लार्ने |
| ६ | जग्गा नामसारी सिफारिस | ३००। | |
| ७ | चरित्र प्रमाणित सिफारिस | २००। | |
| ८ | नाम, उमेर, ठेगाना आदि सच्चाउने सिफारिस | २००। | |
| ९ | बसोबास प्रमाणित | २००। वसाई सराई प्रमाण पत्र | |
| १० | घर प्रमाणित | | घर भए वा हटाएको प्रमाणीत मा सोहि वर्मोजिम |
| | क) पक्की घर | १००० | |
| | ख) कच्ची घर | २५०। | |
| ११ | विवाह प्रमाणित | २००। | |
| १२ | टेलिफोन जडान सिफारिस | ४००। | |
| १३ | विद्युत जडानको सिफारिस | २००। | |
| | थि फेस लाइन | ५००। | |
| १४ | संस्था दर्ता सिफारिस | २०००। | |
| १५ | घरकोठा खोल्ने -प्रति कोठा) | १०००। | |
| १६ | सिनेमा हल खोल्ने स्वीकृती | २००००। | |
| १७ | मोही लगत कट्टाको सिफारिस (सगौल परिवार) क) एक कठ्ठा भन्दा मुनिको लागि | २००। | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रतिकठ्ठा थप रु.१०० |
| | ख) मोही लगत कट्टा सिफारिस (सगौल बाहेक) | ५००। | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रतिकठ्ठा थप रु.२०० |
| | ख) गाउँ बल्क सिफारिस | २०००। | |
| १८ | सहुलियत काठको सिफारिस | ५००। | थप प्रति गोटा |

| | | | १००। |
|----|---|--------|--|
| १९ | नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने सिफारिस | १००। | एकभन्दा बढी रुख भए प्रति गोटा थप रु. १०० |
| २० | घर सारी पाउं भन्ने सिफारिस | २००। | |
| २१ | पेन्सन पट्टाको लागि कुनै पनि व्यहोराको सिफारीस दस्तुर तपसिल अनुसारः | | |
| | क) नेपालको लागि -नेपालमा सेवा गरेको) | ५००। | |
| | ख) भारतको लागि -भारतमा सेवा गरेको) | १००। | |
| | ग) अन्य देशको लागि -अन्य देशमा सेवा गरेको) | २००। | |
| २२ | सर्जिमिन समेत गरी गरिने सिफारिसलाई जुनसुकै सिफारिस भएपनि सो बमोजिम लाग्ने दस्तुरको अतिरिक्त सर्जिमिन वापत थप | ५००। | |
| २३ | अपुतालीको सिफारिसमा | | |
| | क) नेपाली | ५००। | |
| | ख) विदेशी | १५००। | |
| | जन्म बसोवास प्रमाणित | ३०। | |
| | आम्दानी प्रमाणित सिफारिस | ३०। | |
| | पेखरी निर्माण सिफारिस | १००। | |
| २४ | चार किल्ला प्रमाणित:- | | |
| | (क) वडा नं. १ देखि ११ लगायत हाइवेले छोएका जग्गा हरु एक कठासम्म | ३०। | एक कठा माथि प्रति कठा रु.५० थप |
| | (ख) माथि २४ (क) मा उल्लेख भएको क्षेत्र बाहेकका अन्य जग्गाहरु एक कठासम्म | २०। | एक कठा माथि प्रति कठा रु.२५ थप |
| २५ | मेला सर्कसको अनुमति सिफारिस | २५,००। | |
| | स्टल राखी सञ्चालन गरिने | १०,००। | |
| २६ | आगलागीको सिफारिस | | |
| | क) सामान्य घर | ०। | |
| | ख) साना घरेलु उद्योग | ५०। | इन्सुरेन्स भए मात्र |
| | ग) मझौला उद्योग | १००। | इन्सुरेन्स भए मात्र |
| | घ) ठुला उद्योग, फ्याक्ट्री | २५०। | इन्सुरेन्स भए मात्र |
| | ड) पसल कोठा आगलागी - वीमा भएको) | ५०। | इन्सुरेन्स भए मात्र |
| २७ | जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितीलाई तथा बनलाई गरिने आगलागी सिफारीस | ०। | इन्सुरेन्स भए मात्र |
| २८ | खानेपानी जडान सिफारिस : | | |
| | खानेपानी धारा जडान सिफारिस | २०। | |
| | ४ मिटरसम्म पक्की सडक पार गर्नेलाई | ८०। | धरौटी १५,००। |

| | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|
| | ४ मिटरभन्दा बढी पक्की सडक पार गर्नेलाई | १०००। | धरौटी २५,०००। |
| ३९ | उद्योग व्यवसाय बन्द प्रमाणित सिफारिस (व्यवसाय नै संचालन नगरेमा र यस कार्यालयमा दर्ता नभएको) वा चालु आ.ब. भन्दा अगाडी बन्द भई यस कार्यालयलाई जानकारी नदिएकोमा सोही मिति देखि बन्दको सिफारीस गर्दा | ४००।। | |
| ३० | व्यवसाय गरी प्रमाण पत्र लिएकोमा वर्षिक कर लिएर बन्द भएको सिफारिस गर्दा | ५०।। | |
| ३१ | जग्गा मुल्यांकन सिफारिस घर समेत दस्तुर क) घर जग्गा मुल्यांकन गर्दा रु.१०००००। को | प्रति लाखको रु ५० | |
| ३२ | हैसियत प्रमाणीत -विदेश जाने प्रयोजनकालागी) अंग्रेजीमा (क) १ करोड सम्मको सम्पत्तिको मुल्यांकन (ख) २ करोड सम्मको सम्पत्तिको मुल्यांकन (ग) २ करोड भन्दा माथि सम्पत्तिको मुल्यांकन | ५००।। ७००।। ९००।। | |
| ३३ | (क) नाता प्रमाणीत विवाह प्रमाणित, अविवाहित प्रमाणित, आय प्रमाणित, कर चुक्ता प्रमाणित, जन्म प्रमाणित (ख) अन्य सिफारिस (विदेश जाने प्रयोजनको लागि) प्रति सिफारिस अंग्रेजीमा | ३०।। ९००।। | |
| ३४ | कर्जन्हा नगरपालिकावाट कम्प्यूटर गरि दिदा माथि उल्लेखित दस्तुरको अतिरिक्त प्रति पाना | ५।। | |
| ३५ | उद्योग व्यवसाय दर्ता सिफारीस | | |
| | चाउचाउ उद्योग | २००।। | |
| | विस्कुट उद्योग | २००।। | |
| | चप्पल उद्योग | २००।। | |
| | सलाई उद्योग | २००।। | |
| | प्लाइउड उद्योग | २००।। | |
| | क्पडा उद्योग | २००।। | |
| | बरफ उद्योग | १००।। | |
| | कन्फेक्सनरी उद्योग | १००।। | |
| | काष्ठ उद्योग | १००।। | |
| | (क) समिल | २००।। | |
| | (ख) काष्ठ उद्योग साना समिल फर्निचर सहित | २००।। | |
| | (ग) काष्ठ फर्निचर उद्योग मात्र | १००।। | |
| | गडि मर्मत (ग्यारेज) उद्योग | १००।। | |
| | (क) पेट्रोल पम्प स्थापना | १०००।। | |
| | (ख) मट्टितेल डिलरसिप | २००।। | |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| | स्टेसनरी वा कपी उद्योग | १०००। | |
| | डिस्ट्रिलरी बुअरी उद्योग | २००००। | |
| | हल्का पेय (जुस) पदार्थ उत्पादन उद्योग | ५०००। | |
| | प्लाष्टिक उद्योग | ५०००। | |
| | पाउरोटी, केक, पेस्टी, डुनोट उद्योग | १०००। | |
| | गिल उद्योग स्वरोजगारका लागि | १०००। | |
| | गलैंचा उद्योग | २०००। | |
| | गर्मेन्ट्स उद्योग | २०००। | |
| | कुटानी पिसानी उद्योग (साना) | १०००। | |
| | भुजीया उद्योग | १०००। | |
| | ईंटा तथा टायल उद्योग (भट्टा) आधुनिक यन्त्र प्रयोग हुने | १५०००। | |
| | ईंटा तथा टायल उद्योग भट्टा (हातले बनाउने) आधुनिक यन्त्र प्रयोग नहुने | १००००। | |
| | पशुपंक्षी आहार उद्योग | ५०००। | |
| | गाइमैसी कृषी फर्म संचालन | १०००। | |
| | तामा, पित्तल, आल्मुनियम, फलाम, जस्ता, धातुको उद्योग(घरेलु) | १०००। | |
| | जुत्ता उद्योग, फ्याक्ट्री | २०००। | |
| | प्रेस वाहेक अन्य प्रिन्टिंग तथा लेबल उद्योग | १०००। | |
| | जुट उद्योग | २०००। | |
| | कुटानी पिसानीका ठूला उद्योग | १०००। | |
| | सेलर मिल | ५०००। | |
| | वेम्प पाइप उद्योग | २०००। | |
| | व्यफ स्टीम सेलरमिल | १००००। | |
| | जुस, सस, अचारका ठूला उद्योग | ५०००। | |
| | सिमेण्टका पाइप तथा पोल उद्योग | ५०००। | |
| | खैनि उद्योग | ५०००। | |
| | चुरोट, विडी उद्योग -फ्याक्ट्री) | ५००००। | |
| | चुरोट, विडी उद्योग घरेलु | १००००। | |
| | चिप्स, स्वेटर, विट र वोर्ड उत्पादन गर्ने जस्ता उद्योग स्थापना सिफारिस | १०००। | |
| | नुडल्स उद्योग दर्ता सिफारिस सर्जमिन वाहेक | १०००। | |
| | माथि उल्लेखित उद्योग वाहेकका अन्य साना उद्योग | १०००। | |
| | माथि उल्लेखित उद्योग वाहेकका ठूला उद्योग स्थापनाको सिफारिसमा | २०००० | |
| ३७ | निजी विद्यालय दर्ता सिफारिस | | |
| | क) पुर्व प्रा.वि. मन्टेश्वरी लगायत | १०००। | |
| | छ) आधारभूत तह मा.वि | ३०००। | |

| | | | |
|----|--|------------------------|--------------|
| | ३) क्याम्पस | ५००१ | |
| | च) प्राविधिक शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि गरिने सिफारिस | ४००१ | |
| | विद्यालय तथा क्याम्पसको स्तर बृद्धि गर्दा माथिल्लो स्तरको दर्ता सिफारिस दस्तुर लिने तथा एकै स्तरमा कक्षा मात्र थप गर्दा प्रति कक्षा | ५०१ | |
| ३८ | कुखुरा, बंगुर बाखा पालन व्यवसाय उद्योग | १००१ | |
| ३९ | रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि घर तथा बाटो प्रमाणीत गरी मालपोत कार्यालयको नाउँमा गरिने सिफारिस प्रति सिफारिस | | |
| | (क) १ कठ्ठा सम्मको सबै बडाका जग्गालाईक्षेत्रफलमा | ३०१ | |
| | १ देखि ११ नं बडाको एक कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा जति भएपनि | प्रति कठ्ठा रु १००। | |
| | माथिउल्लेख भए बाहेकका सबै बडामा पर्ने बजारको जग्गाहरु | प्रति कठ्ठा रु ५०। | |
| ४० | निर्माण सामाग्री डिलर सिप सिफारिस | २००१ | |
| ४१ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | १००१ | |
| ४२ | विजुलीको सामान ट्रान्सफर्म समेत मर्मत व्यवसाय सिफारिस कर | १५००। | |
| | कपाली कागज प्रमाणित | ३०। | धनी पक्ष वाट |
| | परिवारिक विवरण | ३०। | |
| | छात्रवृत्ति सिफारिस | निशुल्क | |
| | अपाङ्ग सिफारिस | निशुल्क | |
| | स्वास्थ्य सम्बन्धी सिफारिस | निशुल्क | |
| | आर्थिक सहायता | निशुल्क | |
| ४३ | न.पा. कार्यालयमा प्रकृया संचालन भई रहेको सिफारिस/प्रमाणित | ३०००। | |
| ४४ | नाता प्रमाणित दस्तुर नेपालीमा | २०। | |
| ४५ | डिलर सीप प्रति डिलर | १५००। | |
| ४६ | घर जग्गा रोक्का सिफारिस | ५०। | |
| ४७ | निवेदन दस्तुर | ५०। | |
| ४८ | संस्था नविकरण सिफारिस | १०००। | |
| ४९ | लेनदेन कागज, घरबहाल संभौता कागज प्रमाणीत वार्षीक रकम जोडेर प्रत्येक वर्षको | रु २। प्रतिहजार | |
| ५० | व्यवसाय लगतकट्टा सिफारिस | रु ५०। | |
| ५१ | अन्य लगतकट्टा सिफारिस दस्तुर | रु २०। | |
| ५२ | सम्पत्तिकर लगतकट्टा सिफारिस दस्तुर | प्रति कित्ता रु ५। | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| ५३ | बहालकर लगतकट्टा सिफारिस दस्तुर | रु ५००। प्रति संभौता | | | |
| ५४ | शैक्षिक गुठी दर्ता | ५००। | | | |
| ५५ | कक्षाथप आवेदन सुल्क | ५०। | | | |
| ५६ | ग्रेड वृद्धि परिक्षा शुल्क प्रति विषय | १००। | | | |
| ५७ | सामुदायिक शिक्षा सहयोग सुल्क | ५०। | | | |
| ५८ | फारम सुल्क | १०। | | | |
| ५९ | व्यवसाय, घरबहालकर, लगायत फर्म दर्ता नविकरण सिफारिस सुल्क | १००। | | | |
| ६० | घ वर्गको ठेकेदार अनुमति सुल्क | २५००। | | | |
| | घ वर्ग इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर म्यादभित्र | ५००। | | | |
| | घ वर्ग इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर म्यादनाधेको थप प्रति महिना | ५०। | | | |
| ६१ | जल खानेपानी उपभोक्ता प्रमाणीत नविरण, दर्ता शुल्क | ५००। | | | |
| ६२ | प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र वापतरु. | | | | |
| | उद्योगको प्रकार | जारी स्थायी (३ वर्ष) | जारी अस्थायी(१ वर्ष) | नवीकरण स्थायी | नवीकरण अस्थायी |
| | घरेलु | १०,०००। | ५,०००। | ५,०००। | २५०। |
| | साना | २०,०००। | १०,०००। | १०,०००। | ५,०००। |
| | ममौला | २५,०००। | १२,५००। | १२,५००। | ६,०००। |
| | ठूला | ३०,०००। | १५,०००। | १५,०००। | ७,५००। |
| ६३ | संस्था दर्ता सिफारिस(सामाजिक) | | २००। | | |
| ६४ | लिखत प्रमाणीत दस्तुर | | ३०। | | |
| ६५ | सार्वजनिक जग्गा भाडा प्रति कठा | | २०। | | |
| ६६ | सहकारी संस्था दर्ता शिफारिस | | ५००। | | |
| ६७ | एफ एम रेडीयो (१०० वाटभन्दा माथिको शिफारिस) | | ५००। | | |
| ६८ | नयाँ ठाउँमा ग्रामेल खन्दा ग्रामेल वापत प्रति घन मिटर | | ३९। | | |
| ६९ | पुरानो ग्रामेल स्टोक प्रमाणित गरे वापत प्रति घन मिटर | | ६। | | |
| ७० | उत्खन्न कार्यगार्दा ७ फिट गहिरो बनाउदा नगर दस्तुर राजश्व समितिले तोके बमोजिम रु ३९। र ७ फिट भन्दा गहिरो खनेमा १ कठा देखि ५ कठा सम्म प्रति घन मिटर रु ३५। र ५ कठा देखि माथि पोखरीमा प्रति घन मिटर रु ३९ दस्तुर लाग्ने छ। | | | | |

अन्य दस्तुर: तोकेका विभिन्न शिर्षकहरूमध्ये छुटफुट भएका दस्तुरहरु रु.३००। सम्म दस्तुर लिएर सिफारिस दिन सकिने छ।

(६८) सार्वजनिक सौचालय सुल्कः नगरपालिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार तपसिलका सौचालय प्रयोग गरेवापत लिइने सुल्क हरु :

दिशा गरेको रु १०।

पिशाव गरेको रु ५।

(१)घुम्ती सौचालयः

(२) बसपार्क सार्वजनिक सौचालय

(३) आइतवारे बुधवारेहाट सार्वजनिक सौचालय

प्रवेश सूल्क दर देखिने गरि सौचालय अगाडी टाँसेर अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने छ ।

(६९) कान्जी हाउस दस्तुर रु.

नगरकार्यपालिकाले व्यवस्था गरे अनुसार कान्जी हाउसमा दाखिला हुन आउने पशुहरुको निम्नानुसार कान्जी हाउस दस्तुर लिइनेछ ।

क) समातेर ल्याएको पहिलो दिन रु.५००।

ख) समातेर ल्याएको दोस्रो दिन रु.६००।

ग) समातेर ल्याएको तेस्रो दिन रु.७००।

घ) समातेर ल्याएको चौथो दिन रु.८००।

ड) समातेर ल्याएको पाँचौं दिन रु.९००।

च) समातेर ल्याएको छैटौं दिन रु.१००।

छ) समातेर ल्याएको सातौं दिन रु.१३०।

ज) त्यसपछि लिलाम प्रकृया हुनुपूर्व सम्म आएमा रु.१,८००।

द्रष्टव्यः

१) उक्त पशुहरुका साथमा रहेका दुध खाने बाच्छा-बाच्छी, पाडा-पाडी, पाठा-पाठी, बछेडा-बछेडी र पाजीको माउको आधा दस्तुर लाग्ने छ ।

२) छाडा पशुहरु पक्राउ गरी कान्जी हाउसमा दाखिला गर्ने व्यक्ति वा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पहिलो दिन मात्र लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत पुरस्कार दिइने छ ।

३) दिन हिसाब गर्दा कान्जी हाउसमा दाखिला हुनासाथ १ दिन र त्यसपछिको दोश्रो दिनबाट प्रत्येक रातलाई एक दिन मानिने छ ।

४) कान्जी हाउसमा परेको (दाखिला भएको) सात दिनभित्र पशु धनीले छुटाई नलगेमा लिलाम गरिनेछ ।

५) बाली चरी-चराउ गर्दा पक्राउ परेका पशु धनीहरुले बालीको विगो (अर्मल) समेत सम्बन्धितलाई बुझाई सकेपछि मात्र पशु छोडिने छा।

(७०) जग्गा नापी दस्तुर

| क्र. | विवरण | दर | विवरण |
|------|--|------------|-------|
| | क) एक कठ्ठा सम्मलाई | रु. १,५००। | |
| | एक कठ्ठा भन्दा माथि पांच कठ्ठा सम्मलाई | रु २,०००। | |
| | पांच कठ्ठा भन्दा माथि दश कठ्ठा सम्मलाई | रु २,५००। | |
| | दश कठ्ठा भन्दा मनथि १ विगाह सम्मलाई | रु ५,०००। | |
| | त्यो भन्दा माथि | रु १०,०००। | |

- जग्गा नापी दस्तुर प्रति कित्ता बेरला बेरलै लिइनेछ ।

(७१) घर नक्सा पास दस्तुर:

१. (क) नगरपालिका व्यवस्था गरेअनुसार घर, टहरा, र्यारेज, कम्पाउण्ड, वाल आदि निर्माण कार्यको नक्सा पास गर्दा तोकिए अनुसार दस्तुर लिइने छ ।

| क्र स | विवरण | दर | अभिलेखिकरण | कै |
|-------|--|---------|------------|----|
| १ | १००० बर्गफिट सम्मको नक्सा पास गर्दा प्रति बर्ग फिट | रु ६। | . रु ४।- | |
| २ | २००० बर्गफिट सम्मको नक्सा पास गर्दा प्रति बर्ग फिट | रु ९। | . रु ७।- | |
| ३ | २००० बर्गफिट भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि प्रति बर्गफिट | रु ११। | . रु ९।- | |
| ४ | जस्ता पाताको छाना भएको संरचनाको नक्सा पास गर्दा प्रति वर्ग फिट | रु ६। | . रु ४।- | |
| ५ | पर्खाल प्रति रनिङ्ग फिट | रु ६। | . रु ४।- | |
| ६ | काठको भुइ वा टांडे घरको एकमुष्ट | रु ६००। | रु ५००।- | |
| ७ | भुमिगत तल्ला प्रति वर्गफिट | रु १६ | . रु १२।- | |

नोट:- पटक पटक गरी वा तला थप गरी नक्सापास भइसकेको संरचनामा थप नक्सा पासको लागि पेश भएमा सबै क्षेत्रफल गणना गरी कुन वर्गमा पर्ने हो सो निर्धारण गरी सोही वर्गको दरले पेश भएको नक्सामा दस्तुर लिइने छ ।

(७२). रेखांकन,निरिक्षण तथा सचेतना सुल्क,दस्तुर: नगरपालिकाले व्यवस्था गरेअनुसार रेखांकन तथा निरिक्षण गर्दा लिइने प्राविधिक दस्तुर तपसिल अनुसार लगाइने छ ।

| क्र स | विवरण | दर | कैफियत |
|-------|---|------------|--------|
| १ | घर नक्सा निरीक्षण तथा सर्जिमिन दस्तुर | रु १५००। | |
| २ | ले आउट दस्तुर | रु ६००। | |
| ३ | धरौटी नक्शा पास दस्तुरको | ५० प्रतिशत | |
| ४ | पूर्वाधार मरमत सेवा शुल्क नक्शापास दस्तुरको | १० प्रतिशत | |
| ५ | सचेतना शुल्क | रु. ३००। | |

(७३). घरनक्शा नामसारी दस्तुर :

| क्र स | विवरण | दर | कैफियत |
|-------|---|------------|--------|
| १ | १००० बर्गफिट सम्म | रु ६०००। | |
| २ | १००० बर्गफिट भन्दा माथि २००० बर्गफिट सम्म | रु ७०००। | |
| ३ | २००० बर्गफिट भन्दा माथि ३००० बर्गफिट सम्म | रु. १०५००। | |
| ४ | ३००० बर्गफिट भन्दा माथि ४००० बर्गफिट सम्म | रु. १२०००। | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| ५ | ४००० बर्गफिट भन्दा माथि ५००० बर्गफिट सम्म | रु. ३०००। | |
| ६ | ५००० बर्गफिट भन्दा माथि प्रति ५०० बर्गफिट बरावर | रु. १५००।- थप लाग्ने छ। | |
| ७ | घर जग्गा धनिको मृत्यु भई एकाघरका परिवारको नाममा नामसारी गर्नु पर्दा १००० वर्गफिटसम्मको | घरमा रु१००। | |
| ८ | सो भन्दा माथि भए | रु. २००।- नामसारी दस्तुर लिइने छ। | |

(७४) विभिन्न प्रमाण पत्र, फारम विक्री:

| क्र स | विवरण | दर | कैफियत |
|-------|-----------------------------|-----------|--------|
| १ | ठेला गाडाको ब्लु बुक | रु. ५०।- | |
| २ | रिक्साको ब्लु बुक | रु. २५०।- | |
| ३ | सवारी कर प्रमाण-पत्र दस्तुर | रु. १५०।- | |
| ४ | नागरिकता अनुसुचि फारम | रु. २५।- | |
| ५ | नागरिकता प्रतिलिपि फारम | रु. २५।- | |
| ६ | घर नक्सा पास निवेदन फारम | रु १००। | |
| ७ | अन्य निवेदन फारम प्रति पाना | रु. १५।- | |
| ८ | व्यवसाय प्रमाण पत्र | रु २०। | |

(७५) मुद्दा मिलापत्र दस्तुर:

| क्र स | विवरण | दर | कैफियत |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|
| १ | विगो खुलेकोमारु. १ हजारसम्म | रु. ५०।- | |
| २ | रु. १ हजारभन्दा माथि | सयकडा २ प्रतिशतले हुने रकम | |
| ३ | विगो नखुलेकोमा | रु. ५०।- | |
| ४ | साधारण (विविध) मुद्दा दर्ता दस्तुर | रु. २००।- | महिलाहिंसा सम्बन्धी निशुल्क |
| ५ | मुद्दा फैसला प्रतिलिपि | पाना रु ५०। | |
| ६ | सम्झौता, घरबहाल संझौता प्रमाणित | रु ५०। | |
| ७ | वडावाट सम्झौता मेलमिलाप गरे वापत दुवै पक्षवाट | रु ५०। | |

कानून बमोजिम दायर हुन आउने मुद्दामा लाग्ने दस्तुर र मिलापत्र वापत लिइने दस्तुर अदालतको कानून बमोजिम नै हुनेछ।

(७६) नक्कल दस्तुर:

| क्र स | विवरण | दर | कैफियत |
|-------|---|---------|--------|
| १ | नक्सा पास सम्बन्धि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रतिपाना | रु३००। | |
| २ | घरको नक्साको प्रतिलिपि प्रतिपाना | रु २००। | |
| ३ | व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि | रु २००। | |
| ४ | अन्य प्रमाण-पत्रको | रु ५०। | |
| ५ | प्रमाण-पत्र वाहेक अन्य कागजको प्रतिपाना | रु ५। | |
| ६ | एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि | रु ५। | |

(७७) पूर्वाधार मर्मत संभार सुल्कः पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजनावाट १ प्रतिशत रकम पुनः मर्मतका लागि कटूटा गरिने छ ।

(७८) **व्याजबाट आम्दानी:** नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने धरौटीको बैंक जम्मा गर्दा पाउने व्याज लाई आम्दानिको रूपमा लिईनेछ ।

(७९) **धरौटी जफतः** घरनक्सापास लगायत अन्य विभिन्न आम्दानीहरूको फिर्तालिने म्याद गुज्रेको, ठेक्का कवोलेर संचालन गर्न नसक्दा जफत भएको धरौटी लगायत अन्य कुनै प्रकृयावाट जफत भएको धरौटी आम्दानी बांधन सकिने छ ।

(८०) **ठेक्का बक्यौता:** विगत वर्षहरूमा कवोल गरेर ठेक्का संचालन गरिसकेर नतिरेका ठेक्का बक्यौताहरू उठाउन वाकि रहेका ठेक्का बक्यौताहरू लगायत विभिन्न बेरुजुहरू उठाउन नगरकार्यपालिकाले निति बनाइ उठाउने छ ।

(८१) **मर्मत संभार कोष :** विभिन्न शिर्षकहरूमा मर्मत संभार गरेवापत लिने मर्मत संभार दस्तुरहरू उठाउन सकिने छ ।

(८२) **स्थानीय भवन निर्माण व्यवसायी सुचिकृत दस्तुर :** भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूले भवन बनाउन भुकम्प प्रतिरोधी तालिममा सहभागी भएपछी नगरपालिकामा आफ्नो फर्म सुचिकृत तथा दर्ता, नविकरण गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार दस्तुर उठाउन सक्ने छ ।

(८३) **लिलाम विक्री:** कार्यालय, वडा कार्यालय तथा कार्यालयको परिसरभित्र रहेका विभिन्न प्रकारका मर्मत गरेर चलाउन नसकिने प्रकृतिकासामानहरू लीलाम विक्री गरीआम्दानी गर्न सकिने छ ।

(८४) घरनक्सापास सचेतना सूल्कःघरनक्सा पास समबन्धी कार्य गर्दा अग्रिम जानकारी गराउने व्यवस्था भए अनुसार कार्यपालिकाले तोके अनुसार घर नक्सा सचेतना सुल्क असुल गरिने छ ।

अनुसूची १२ (क)
विधेयकको दफा १५ संग सम्बन्धित
माटो ,भरौट, ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रि कर

| सि.न. | विवरण | बिक्रि कर (प्रति घ.फि.) | कैफियत |
|-------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| १ | माटो तथा भरौट | २०० | |
| २ | मिक्स गिटी, गिटी, बालुवा र ढुंगा | ५०० | |

अनुसूची १२ (ख)
विधेयकको दफा १५ संग सम्बन्धित
माटो ,भरौट, ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी कर

| सि.न. | विवरण | बिक्रि कर (प्रति घ.मि.) | कैफियत |
|-------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| १ | माटो तथा भरौट | १५० | |
| २ | मिक्स गिटी, गिटी, बालुवा र ढुंगा | २०० | |

अनुसूची १३
यस विधेयकको दफा १७(१) संग सम्बन्धित
दण्ड जरिवाना

१) (क)दण्ड जरिवाना पन्जिका समेत : नगरपालिकाले तोकेकायस सिर्षकहरुमध्येमा पंजिकरणमा ३५ दिनभित्र दर्ता गर्दा निशुल्क हुने भएकोले म्याद गुज्रेमा सबैलाई अनिवार्य जरिवाना लिइने छ

| क स | विवरण | दर | कैफियत |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|
| १ | ३५ दिन भित्र दर्ता हुनेमा निशुल्क | ० | |
| २ | सो पछि दुई महिना भित्र दर्ता हुनेमा | रु.२० | |
| ३ | पाँच महिना भित्र दर्ता हुनेमा | रु.३० | |
| ४ | पाँच महिना भन्दा पछी दर्ता हुनेमा | रु.५० | |

ख) सम्पत्तिकर असुलगर्दा लिइने जरिवाना : सम्पत्तिकर असुल गर्दा अधिल्लो आ ब को बक्यौता भएमा १० प्रतिशत जरिवाना थपहुने र सो भन्दा अगाडीको बक्यौता भएमा २० प्रतिशतले जरिवाना लिइने छ ।

२. बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरिवाना: बजार व्यवस्थापन गर्दा लगाइने जरिवाना तपसिल बमोजिम असुल गरिने छ ।

| सि नं | सामानको विवरण | जरिवाना गरि सामान फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु | कैफियत |
|-------|---|------------------------------------|--------------------------|---|
| १ | फलफुल हरु प्रति पसलको | पकाउ भएको समय देखि ७२ घण्टा सम्ममा | ५००। | ३५दिन सम्म सामान फिर्ता लिन नआएमा सामान जफत गरिने छ । |
| २ | घुम्ति पसल पोके हरु | " | ५००। | " |
| ३ | आयुर्वेद औषधि | " | ५००। | " |
| ४ | चिया पसल | " | ५००। | " |
| ५ | स्टयाण्ड बोर्ड | " | ५००। | " |
| ६ | लैर्डीज़ बोर्ड | " | ५००। | " |
| ७ | फ्लेक्स बोर्ड व्यानर | " | ५००। | " |
| ८ | गेट | " | ५००। | " |
| ९ | कपडाको व्यानर | " | ५००। | " |
| १० | चुरोट पान चटपटे पसल | " | ५००। | " |
| ११ | डोको नझलो दालचामल अदुवा मसला | " | ५००। | " |
| १२ | खसी वाखा कुखुरा सुगुर रांगा पसल | " | ५००। | " |
| १३ | खाद्यान्न पदार्थ साग सब्जी तरकारी जातका पसल | " | ५००। | " |
| १४ | कसमेटीक सामानहरुको पसल | " | ५००। | " |
| १५ | चना चटपटे पानिपुरी नास्ता का ठेला समेत | " | ५००। | " |
| १६ | भडा वर्तन रयांस सीलिङ्डर गीफ्टका सामान | " | ५००। | " |
| १७ | मेशीन औजार इलेक्ट्रोनिक सामानहरु | " | १०००। दुवानि खर्च थप हुन | " |
| १८ | जुता चप्पल फेन्सीका सामानहरु | " | ५००। | " |
| १९ | ढक तराजु | " | ५००। | " |
| २० | निर्माण सामग्रीहरु वालुवा गिटी छड टिन इत्यादी | " | ५०००। | " |
| २१ | अनधिकृत रूपमा राखिएका ठुला सवारी साधनहरु | " | ५०००। | " |
| २२ | फर्निचरका सामान हरु | " | ५००। दुवानि खर्च थप हुने | " |
| २३ | अनधिकृत रूपमा राखिएका साना सवारी साधनहरु | " | ५००। दुवानि खर्च थप हुने | " |

अनुसूची-१४
विधेयकको दफा १८ सँग सम्बन्धित
कर्जन्हा नगरपालिका

आ ब २०७६।७७ को लागि राजस्व परामर्श समितिले देहाय बमोजिम कुल आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरेको छ ।

| अनुसूची | सिर्पक न | विवरण | ०७३।०७४को यथार्थ राजस्व आमदानी | ०७४।०७५को अनुमानित राजस्व | २०७५।०७६जेष्ठ सम्मको यथार्थ राजस्व | ०७६।७७ अनुमानित राजस्व आय |
|---------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| १ | ११३१३ | सम्पत्ति कर | | | | |
| २ | ११३१४ | भुमीकर (मालपोत) तथा घर जग्गा कर बक्यौता | | | | |
| ३ | ११३२१ | घर जग्गा वहाल कर | | | | २०००००। |
| ४ | ११६१३ | व्यवसाय कर | | | | २०००००। |
| ६ | ११४७२ | विज्ञापन कर (होर्डिङ वोर्ड तथा रेलिङ्ग) | | | | ५०००। |
| ७ | ११४७० | मनोरञ्जन कर | | | | ५०००। |
| ८ | ११४५१ | सवारी साधन कर दर्ता तथा वार्षिक नविकरण | | | | २००००। |
| ९ | ११४५१ | पटके सवारी कर | | | | |
| १० | | रजिस्ट्रेशन शुल्क | | | | |
| | | ठेक्का तथा बहाल विटैरी कर: | | | | |
| ११ | ११३२२ | साप्ताहिक हाट कर ठेक्का समेत | | | | ३००००। |
| | ११६३१ | मासु तरकारी तथा फलफुल बजार | | | | |
| | ११४७२ | गनवेल्ट रेलिंग ठेक्का | | | | |
| | ११३२२ | दैनिक गुद्री व्यवसाय विटैरी (हटीया तथा पोखरी) | | | | १५००००। |
| | ११३२२ | रोलर तथा पानी ट्यांकी जे सि वी ट्रिपर भाडा | | | | |
| | १४२१९ | बारुण्यन्त्र तथा सडक बत्ती सेवासुल्क अन्य सेवा सुल्क | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--|--|--|---------|
| | ११३२२ | माछापोखरी ठेकका | | | | |
| | ११३२२ | कोठा भाडा ठेकका | | | | |
| १७ | १४२४१ | सवारी पार्किङ (सरसफाई सुल्क) दस्तुर ठेकका | | | | |
| | | सेवा शुल्क तथा दस्तुर | | | | |
| १९ | ११४५१ | रिक्सा ठेला दर्ता तथा नविकरण दस्तुर | | | | |
| २० | १४२१९ | शौचालय घुम्ती समेत शुल्क | | | | ३०००००। |
| २१ | १४२१९ | फोहोर व्यवस्थापन शुल्क | | | | ४०००००। |
| २२ | १४२४० | निवेदन दस्तुर | | | | |
| २३ | १४२४३ | सिफारिस तथा बक्स्यौनी दस्तुर | | | | ४०००। |
| २४ | १४२४५ | नाता प्रमाणीत दस्तुर | | | | ३५०००। |
| २५ | १४३११ | मुद्दा मिलापत्र दस्तुर | | | | ३००००। |
| २६ | १४५२९ | लगत कटौटी दस्तुर | | | | २५०००। |
| २७ | १४५२९ | अन्य दस्तुर | | | | २६०००। |
| २८ | १४५२९ | नक्कल दस्तुर | | | | १००००। |
| २९ | १४५१० | विविध आय व्याज वाट आय | | | | |
| ३० | १४३१२ | कान्जी हाउस दस्तुर | | | | |
| ३१ | १४३१२ | जग्गा नापी | | | | ५००००। |
| ३२ | १४२४२ | घर नक्सा पास दस्तुर | | | | २००००। |
| ३३ | १४२४२ | रेखांकन तथा निरीक्षण दस्तुर | | | | |
| ३५ | ११६९ | घरनक्सा तथा सम्पत्तिकर र अन्य फारम विक्री | | | | २००००। |
| ३६ | ११४५२ | पुर्वाधार मर्मत सम्भार सेवा सुल्क | | | | |
| ३७ | १४१५० | सचेतना सुल्क घर नक्सा पास | | | | |
| | १४२४२ | दण्ड जरिवाना पन्जीका घरनक्सा | | | | |
| ३८ | ११६०० | धरौटी जफत | | | | |
| ३९ | ११६०० | विगत वर्षको ठेकका बक्यौता वेरुजु | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--|--|--|------------|
| | | असुल उपर | | | | |
| ४० | ११६१३ | स्थानीय भवन विर्माण व्यवसायी सुचीकृत | | | | ८०००००। |
| ४१ | ११६९० | लिलाम विक्री | | | | |
| ४२ | ११६९० | मर्मत सम्भार कोष | | | | |
| ४३ | ११६०० | टेण्डर फारम | | | | ३०००००। |
| ४४ | | मुद्दा दर्ता | | | | ५००००। |
| ४५ | | परिक्षा सुल्क | | | | |
| ४६ | | विद्युत महसुल | | | | |
| ४७ | | हल भाडा | | | | |
| | | घरनक्सा नामसारी | | | | |
| | | बिक्री तथा निकाशि शूल्क दस्तुर (दुंगा गिटी लगायत) | | | | २५००००। |
| | | जम्मा | | | | ५०,००,०००। |